चवालीसवां प्रतिवेदन

याचिका समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

(24.03.2023 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023/ चैत्र, 1945(शक)

सीपीबी सं. 1 खंड XLIV

© **2023** लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित

विषय-सूची

पृष्ठ

याचिका समिति का गठन..... (ii)

प्राक्कथन..... (iii)

प्रतिवेदन

नागौर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (राजस्थान) में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-III) के अंतर्गत सड़क विकास कार्यों को कथित रूप से मनमाने ढंग से मंजूरी दिए जाने के संबंध में श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य, लोक सभा से प्राप्त अभ्यावेदन। 1

अनुबंध

(i) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) का पत्र दिनांक 02.06.2020 44

(ii) अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त नागौर राजस्थान सरकार का पत्र दिनांक 05.06.2020 46

(iii) श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य, लोक सभा का पत्र दिनांक 28.06.2020 48

(iv) राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर, राजस्थान सरकार का पत्र दिनांक 03.09.2021 51

(v) पीएमजीएसवाई कार्यों पर राज्य स्तरीय स्थायी समिति की 24.03.2022 को हुई 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश 52

(vi) अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त नागौर, राजस्थान सरकार का पत्र दिनांक 05.04.2022 57

(vii) अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त नागौर, राजस्थान सरकार का पत्र दिनांक 12.05.2022 59

(viii) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) का पत्र दिनांक 09.11.2022 60

परिशिष्ट

(i) याचिका समिति की 17.10.2022 को हुई 24वीं बैठक का कार्यवाही सारांश। 63

(ii) याचिका समिति की 23.03.2023 को हुई 28वीं बैठक का कार्यवाही सारांश। 69

याचिका समिति का गठन

श्री हरीश द्विवेदी - *सभापति*

सदस्य

2. श्री एंटो एन्टोनी
3. श्री हनुमान बेनीवाल
4. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
5. श्री पी. रविन्द्रनाथ
6. डॉ. जयंत कुमार राय
7. श्री बृजेन्द्र सिंह
8. श्री सुनील कुमार सिंह
9. श्री सुशील कुमार सिंह
10. श्री मनोज कुमार तिवारी
11. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
12. श्री राजन बाबूराव विचारे
13. रिक्त
14. रिक्त
15. रिक्त

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री टी.जी.चन्द्रशेखर	-	अपर सचिव
2.	श्री राजू श्रीवास्तव	-	निदेशक
3.	श्री विवेक सैनी	-	कार्यकारी अधिकारी

याचिका समिति का चवालीसवां प्रतिवेदन
(सत्रहवीं लोक सभा)

प्राक्कथन

मैं, याचिका समिति का सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, नागौर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (राजस्थान) में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-III) के अंतर्गत सड़क विकास कार्यों को कथित रूप से मनमाने ढंग से मंजूरी दिए जाने के संबंध में श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य, लोक सभा से प्राप्त अभ्यावेदन पर याचिका समिति का यह चवालीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) सभा में प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने 23 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में 44वें प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

3. उक्त मुद्दों पर समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें प्रतिवेदन में शामिल की गई है।

नई दिल्ली;
23 मार्च, 2023
02 चैत्र, 1945 (शक)

श्री हरीश द्विवेदी
सभापति,
याचिका समिति

प्रतिवेदन

नागौर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (राजस्थान) में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-III) के अंतर्गत सड़क विकास कार्यों को कथित रूप से मनमाने ढंग से मंजूरी दिए जाने के संबंध में श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य, लोक सभा का अभ्यावेदन।

श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य, लोकसभा ने नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (राजस्थान) में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-III) के तहत सड़क विकास कार्यों की कथित मनमानी मंजूरी के संबंध में 5 अगस्त, 2022 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था।

2. माननीय संसद सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल ने अपने अभ्यावेदन में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था कि प्रारंभ में राजस्थान राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तावित पीएमजीएसवाई-III योजना के अंतर्गत नागौर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (राजस्थान) में उनकी सहमति के बिना सड़क विकास कार्य किया गया था, जिसे अंततः केन्द्र सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद, संसद सदस्य की उचित सहमति से उक्त योजना के तहत नए सिरे से प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, बाद में नए प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति के बाद भी, इसे कथित तौर पर मंजूरी नहीं दी गई और लंबे समय तक जानबूझकर लंबित रखा गया। परिणामस्वरूप, पीएमजीएसवाई-III योजना के तहत नागौर निर्वाचन क्षेत्र में सड़क विकास कार्यों को कार्यांवित करने में अत्यधिक देरी हुई। इसके अलावा, बाद में, जब सड़क विकास कार्यों को अंततः मंजूरी मिली, तो यह उनके प्रस्ताव के अनुरूप नहीं था।

3. माननीय संसद सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल ने अभ्यावेदन में अपनी शिकायतें उठाते हुए निम्नलिखित तथ्यों को सामने रखा:-

(i) जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के तहत नागौर संसदीय क्षेत्र (राजस्थान) में सड़क विकास कार्यों को मंजूरी देने का मुद्दा उनके संज्ञान में आया, तो उन्होंने पत्र संख्या 248 के माध्यम से दिनांक 5.5.2020 को भारत सरकार के तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर को अपनी आपत्ति दर्ज कराई क्योंकि संबंधित प्रस्ताव पर उनकी सहमति नहीं ली गई थी। इसलिए, उन्होंने प्रस्ताव की समीक्षा करने और इसके लिए उनकी सहमति प्राप्त करने के बाद ही सड़क विकास कार्यों को मंजूरी देने का अनुरोध किया। इसके उत्तर में, भारत सरकार के तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने अ.शा. पत्र सं. पी-17021/22(1)/2019-आरसी दिनांक 26.6.2020 के माध्यम से यह जानकारी दी कि 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के तहत सड़क कार्यों की योजना और चयन में माननीय संसद सदस्य की भूमिका' विषय के संबंध में दिनांक 2.6.2020 को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पीएमजीएसवाई के सभी प्रभारी अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/प्रभारी सचिवों को एक परामर्श जारी किया गया था।

(ii) संसद सदस्य की भूमिका के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 2.6.2020 को जारी उक्त परामर्श का उल्लेख करते हुए, दिनांक 4.6.2020 को लोक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार के मुख्य अभियंता (पीएमजीएसवाई) द्वारा राज्य में लोक निर्माण विभाग के सभी अधीक्षण अभियंताओं को उक्त परामर्श की भावना का पालन करने और तदनुसार सख्ती से कार्य करने के निर्देश के साथ एक पत्र भेजा गया।

(iii) इस बीच उन्होंने भारत सरकार के तत्कालीन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को इस मामले पर पुनः बिंदुवार पत्रांक 356 दिनांक 28.6.2020 को सौंपा। इसके जवाब में, माननीय मंत्री ने अपने दिनांक 12.1.2019 के डी.ओ. पत्र संख्या 17024/22 (1)/2019-आरसी के माध्यम से उन्हें सूचित किया कि चूंकि नागौर संसदीय क्षेत्र में पीएमजीएसवाई-III के तहत प्रस्तावित सड़कों की योजना और चयन में राज्य सरकार द्वारा उनकी सहमति नहीं ली गई थी, इसलिए उनके द्वारा उठाए गए मामले पर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्टों की समीक्षा करने के बाद, 2.6.2020 को जारी एडवाइजरी/दिशा-निर्देशों के अनुसार नागौर जिले की 28 सड़कों के संबंध में पूर्व प्रस्ताव के स्थान पर नया प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था। माननीय मंत्री के उपरोक्त डीओ पत्र के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त निदेशक (आरसी) द्वारा इस मामले में राजस्थान सरकार के लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेजे गए दिनांक 27.11.2020 के पत्र की प्रति भी उन्हें प्राप्त हुई। इसलिए, यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा की गई शिकायत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समीक्षा के अनुसार सही पाई गई थी और तदनुसार, उनकी सहमति के बिना 28 सड़कों के संबंध में भेजे गए पूर्व प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद, संसद सदस्य की सहमति से नए सिरे से प्रस्ताव मंगाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।

(iv) हालांकि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने भारत सरकार के तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर को 23.12.2020 के अपने पत्र संख्या 452 के माध्यम से कुल 39 सड़कों (348.50 किलोमीटर) के संबंध में फिर से प्रस्ताव भेजा। इसके जवाब में, माननीय मंत्री ने अपने पत्र संख्या 253 दिनांक 30.12.2020 के

माध्यम से उन्हें सूचित किया कि उनके द्वारा भेजे गए प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(V) इस बीच, लोक निर्माण विभाग के कार्यालय, नागौर सर्कल (राजस्थान) के अधीक्षण अभियंता ने मुख्य अभियंता (पीएमजीएसवाई) को दिनांक 29.12.2020 को एक पत्र भेजा और अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया कि 39 सड़कों (348.50 किमी) के संबंध में संबंधित संसद सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्ताव जिला परिषद की सिफारिशों के अनुसार है और सीयूसीपीएल के अनुसार है और इसलिए, इसके लिए डेटा प्रविष्टि सक्षम करने का अनुरोध किया।

(Vi) इसके बाद, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री श्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की और उनसे दिनांक 20.7.2021 के पत्र संख्या 607 के माध्यम से अपने द्वारा प्रस्तावित 348.5 किलोमीटर सड़कों के संबंध में सड़क विकास कार्यों की मंजूरी देने का अनुरोध किया।

(Vii) उनके द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद, सड़क विकास/निर्माण कार्यों को मंजूरी नहीं दी गई। इसलिए, उन्होंने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह से पत्र संख्या 1056 दिनांक 8.12.2021 के माध्यम से 348.50 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव पर अपनी सहमति के बारे में सूचित करते हुए फिर से अनुरोध किया और मंत्री को यह भी अवगत कराया कि राजस्थान के सभी जिलों के संबंध में सड़कों के निर्माण के लिए अनुमोदन दिया गया है और पीएमजीएसवाई -3 योजना, ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और समेकन के लिए भारत सरकार की एक योजना के तहत कार्य प्रगति पर हैं। जबकि, नागौर जिले के मामले में अनुमोदन अभी भी लंबित था। इसके अलावा, उक्त पत्र के माध्यम से, उन्होंने यह भी बताया कि उक्त योजना के तहत राजस्थान के टोंक

जिले (ज्यादातर टोंक विधानसभा क्षेत्र में) में लगभग 60 किलोमीटर कच्ची सड़कों के उन्नयन और सुदृढीकरण का कार्य शुरू किया गया था। माननीय मंत्री ने दिनांक 22.12.2021 के अपने पत्र के माध्यम से उपरोक्त पत्र की प्राप्ति को स्वीकार किया था।

(viii) बाद में माननीय मंत्री द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसरण में, उन्होंने दिनांक 17.1.2022 के पत्र संख्या 18 के माध्यम से 39 (348.5 किमी) के स्थान पर 30 सड़कों (307.85 किमी) के निर्माण के लिए पुन: संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे मंत्री ने अपने पत्र संख्या 718287 दिनांक 3.2.2022 के माध्यम से स्वीकार किया।

(ix) इस संबंध में उन्होंने नियम 377 के तहत 22.07.2021 को संसद में भी मुद्दा उठाया था, जिसका संबंधित माननीय मंत्री ने 23.8.2021 को जवाब दिया था।

(x) पीएमजीएसवाई-III का उद्देश्य थ्रू रूट्स और प्रमुख ग्रामीण संपर्कों का उन्नयन और सुदृढीकरण है, जैसा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने दिनांक 5.6.2020 के डी.ओ. पत्र संख्या एसपी-17025/22 (1)/2017 - आरसी (एफटीएस नंबर 357269) के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ अवगत भी कराया है। तथापि, उनके द्वारा किए गए उपर्युक्त सभी पत्राचारों/पत्रों तथा प्रस्तावों के संबंध में संबंधित संसद सदस्य की सहमति प्राप्त करने के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों के बावजूद ग्रामीण विकास मंत्रालय के निदेशक (आरसी) ने 26-7-2022 को मनमाने ढंग से अनुमोदन जारी कर दिए जिससे नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के महत्वपूर्ण थ्रू रूटों की अनदेखी की गई, जो पूरी तरह अनुचित है।

4. इसलिए माननीय संसद सदस्य ने इस मामले की जांच करने और ग्रामीण विकास मंत्रालय को उनके प्रस्ताव के अनुसार पीएमजीएसवाई-III योजना के अंतर्गत सड़क विकास कार्यों को मंजूरी देने के लिए निदेश देने का अनुरोध किया था।

5. याचिका समिति ने लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निर्देश 95 के तहत श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य, लोक सभा के अभ्यावेदन पर विचार किया। तदनुसार, अभ्यावेदन ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) को भेजा गया था ताकि उसमें उठाए गए मुद्दों पर उनकी टिप्पणियां ली जा सकें।

6. अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण देते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग), ग्रामीण संपर्क (आरसी) प्रभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या एच-12013/21/2022-आरसी (एफएमएस संख्या 381257)दिनांक 25 अगस्त में निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत कीं:–

> *'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को ग्रामीण जन समुदाय की सामाजिक-आर्थिक दशा के उत्थान के उद्देश्य से कोर नेटवर्क में निर्दिष्ट आबादी (मैदानी क्षेत्रों में 500+ और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों, हिमालयी संघ राज्य क्षेत्रों, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुछ अन्य विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में 250+) वाली पात्र सड़क संपर्क विहीन बसावटों को बारहमासी सड़क द्वारा ग्रामीण सड़क संपर्कता उपलब्ध कराने वाले एकबारगी विशेष कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। तत्पश्चात सरकार ने इस कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया और वर्ष 2013 में लोगों, वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए परिवहन सेवा प्रदाता के रूप में मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क की समग्र दक्षता में सुधार करने के लिए इस नेटवर्क की 50000 कि.मी. लंबी सड़कों के उन्नयन के लक्ष्य के साथ पीएमजीएसवाई-।। नामक नया घटक शुरू किया गया। राजस्थान राज्य ने पीएमजीएसवाई-। के*

अंतर्गत एक पुल कार्य को छोड़कर पीएमजीएसवाई-I और II के अंतर्गत उसे स्वीकृत किए गए सभी कार्य पहले ही पूरे कर दिए हैं। पीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत उक्त पुल कार्य को सितम्बर, 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।

सरकार ने बसावटों को अन्य के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएम), उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जोड़ने वाले **1,25,000 कि.मी. लंबे मौजूदा थ्रू रूटों और प्रमुख ग्रामीण लिंक रूटों** के सुदृढ़ीकरण के लिए पीएमजीएसवाई-III को वर्ष 2019 में शुरू किया था। इस कार्यक्रम में ग्रामीण बाजारों और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी आवश्यक सुविधाओं को महत्व देने वाली प्राथमिकता के आधार पर **मौजूदा थ्रू रूटों और प्रमुख ग्रामीण लिंक रूटों के उन्नयन पर जोर दिया गया है** तथापि कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के पैरा संख्या 2.5 के अनुसार, 'जीआरएएम/गोदामों, सरकारी अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थाओं को जोड़ने वाली उन्नयन परियोजना के अंतर्गत नए निर्माण की अनुमति तभी दी जाएगी यदि वे पहले से मैटल्ड रोड से न जुड़ी हों या मौजूदा सड़कों में सुधार और उन्हें चौड़ा किए जाने की आवश्यकता हो'।

पीएमजीएसवाई-III के दिशा-निर्देशों में सड़कों की आयोजना और चयन के समय जन प्रतिनिधियों के साथ परामर्श की व्यवस्था पहले से मौजूद है। पीएमजीएसवाई-III के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सड़कों के चयन के विषय में संसद सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर पूर्ण विचार किया जाता है और इस प्रकार के जिन प्रस्तावों को शामिल नहीं किया जा सकता है उन प्रस्तावों और उन्हें शामिल न किए जाने के कारणों की लिखित जानकारी प्रत्येक मामले में संसद सदस्यों को दी जाती है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि स्वीकृति के लिए प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करते समय राज्य सरकार कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के प्रावधानों पर विशेष ध्यान दें,

मंत्रालय ने 02 जून, 2020 को राज्य सरकारों को परामर्शिका (**अनुबंध-I**) जारी की थी, जिसके द्वारा राज्य सरकारों को अन्य बातों के साथ-साथ यह सलाह दी गई है कि वे प्राथमिकता के क्रम में प्रस्तावों की अंतिम सूची की जानकारी संसद सदस्य को दें तथा प्रस्तावों में कुछ सड़कों को शामिल न किए जाने के कारण भी बताएं और भारत सरकार को अनुमोदनार्थ भेजे गए प्रस्तावों पर उनकी सहमति प्राप्त करें।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत सड़कों का चयन पात्र सड़कों के उपयोगिता मूल्य, जिसकी गणना सड़क का उपयोग करने वाली आबादी तथा संबंधित सड़क से जुड़े बाजार, शैक्षणिक, चिकित्सा और परिवहन तथा अवसंरचना सुविधाओं के आधार पर किया जाता है, के आधार पर की जाती है। प्रत्येक ग्रामीण बस्तियों से उनकी नजदीकी सुविधाओं तक के मार्ग की ट्रैसिंग करके ऐसी सड़कों का उपयोग करने वाली आबादी के आधार पर ग्रामीण सड़कों की पहचान करने और उन्हें रैंक देने तथा उसके बाद प्रत्येक सड़क खंड की महत्ता का पता लगाने के लिए इस सूचना को संकलित करने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा "ट्रैस मैप" नामक अत्याधुनिक नेटवर्क आयोजना कलन विधि (नेटवर्क प्लानिंग एल्गोरिदम) विकसित की गई है। इस तरह ट्रेस मैप कलन विधि द्वारा रैंक दी गई सड़कों को जनप्रतिनिधियों, स्थानीय पीआईयू की जानकारी और अन्य स्रोतों से प्राप्त सिफारिशों के साथ संकलित किया जाता है। इन सभी सड़कों को ''कैंडिडेट रोड'' कहा जाता है। अंततः ऐसी प्रत्येक कैंडिडेट सड़क के उपयोगिता मूल्य के आधार पर समग्र उन्नयन-सह-प्राथमिकता सूची (सीयूसीपीएल) तैयार की जाती है। इसके बाद उन्नयन संबंधी सभी प्रस्तावों को सीयूसीपीएल के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। किसी सड़क की उपयोगिता मूल्य सड़क का उपयोग करने वाली आबादी, कृषि बाजार शैक्षणिक और चिकित्सा सुविधाओं, परिवहन अवसंरचना वस्तुओं और इनके वैटेज संबंधी मानदंडों पर आधारित होता है।

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार वांछित शर्तों के पूरा होने/अनुमोदन के पश्चात वार्षिक प्रस्तावों को राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) अर्थात पीएमजीएसवाई एमआईएस प्रणाली में अपलोड किया जाता है। राज्य द्वारा अपलोड किए गए प्रस्तावों की स्वीकृति से पहले, परियोजना प्रस्तावों में सुधार करने के उद्देश्य से विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की पीएमजीएसवाई कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न स्तरों पर जांच की जाती है। राज्यों के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों/इंजीनियरिंग कॉलेजों से चुनी गई राज्य तकनीकी एजेंसियों (एसटीए) द्वारा सभी विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की जांच की जाती है। 15 प्रतिशत सैंपल डीपीआर की एनआरआईडीए (मंत्रालय) स्तर पर जांच की जाती है और प्रेक्षाओं को अनुपालन के लिए राज्य को भेजा जाता है। डीपीआर में से NRIDA द्वारा चुनी हुई 10 प्रतिशत सैंपल डीपीआर की प्रमुख तकनीकी एजेंसियों (पीटीए) द्वारा जांच की जाती है, जिनका चयन प्रतिष्ठित आईआईटी/एनआईटी/इंजीनियरिंग कॉलेजों से किया जाता है।

एनआरआईडीए/पीटीए की अभ्युक्तियों की राज्य द्वारा अनुपालन किए जाने के बाद प्रस्तावों को महानिदेशक, एनआरआईडीए की अध्यक्षता में और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होने वाली पूर्व-अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पीएमजीएवाई-।।। दिशानिर्देशों, तकनीकी मानदंड, लागत इत्यादि के संदर्भ में प्रस्ताव की जांच की जाती है और प्रेक्षाओं की जानकारी राज्य को दी जाती है। इसके बाद राज्य इन प्रेक्षाओं का अनुपालन प्रस्तुत करता है। यदि सभी जरूरी दस्तावेज तथा अनुपालन पूरे होते हैं और क्षमता अथवा संस्था संबंधी कोई बड़ी कमी नहीं होती है तथा ओएमएमएएस में आंकडें संतोषजनक पाएँ जाते हैं, तो प्रस्ताव को सचिव, ग्रामीण

विकास विभाग की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को ग्रामीण विकास मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और यदि प्रस्ताव कार्यक्रम की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, तो उन्हें स्वीकृति दे दी जाती है।

राजस्थान राज्य को पीएमजीएसवाई-III के तहत 8,662.50 किलोमीटर लंबी सड़क का लक्ष्य आवंटित किया गया, जिसमें से दिनांक 20 फरवरी, 2020 को 2019-20 के बैच-I में राज्य के लिए 2,198 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी दी गई थी।

*राज्य सरकार ने 2020-21 के बैच-I में अग्रेतर 3,840 किलोमीटर के 402 सड़क कार्यों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस मंत्रालय के दिनांक 02 जून, 2020 के परामर्श-पत्र के अनुसार राज्य सरकार ने दिनांक 05.06.2020 के पत्र संख्या 275 **(अनुबंध-II)** के माध्यम से नागौर निर्वाचन क्षेत्र के माननीय संसद सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल से नागौर जिले में प्रस्तावित 216.98 किलोमीटर की 28 सड़कों के लिए सहमति देने का अनुरोध किया था। यद्यपि, माननीय संसद सदस्य से 15 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सहमति प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, इस मंत्रालय को माननीय संसद सदस्य की ओर से माननीय ग्रामीण विकास मंत्री को संबोधित दिनांक 28 जून, 2020 (**अनुबंध-III**) की एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परियोजना प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उनसे कथित तौर पर परामर्श नहीं लिए जाने का आरोप लगाया गया था और अनुरोध किया गया था कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रस्ताव रद्द कर दिए जाएं और राज्य सरकार उनकी सिफारिश के आधार पर नए प्रस्ताव तैयार करें। तदनुसार, दिनांक 23 जुलाई, दिनांक 2020 को राज्य को नागौर जिले की 28 सड़कों (माननीय संसद सदस्य के अनुरोध के अनुसार) को छोड़कर 3,623 किलोमीटर के 374 सड़कों के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे।*

माननीय संसद सदस्य से प्राप्त शिकायत को राज्य सरकार के समक्ष उठाया गया था। राज्य सरकार से पीएमजीएसवाई-III के तहत सड़क कार्यों की आयोजना और चयन में सांसदों की भूमिका के संबंध में दिनांक 2 जून, 2020 के कार्यक्रम दिशानिर्देशों और परामर्श के संदर्भ में नए सिरे से प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

राज्य ने 420.65 किलोमीटर की 44 सड़कों के लिए एक संशोधित प्रस्ताव अपलोड किया, जिस पर 27 मई, 2021 को पूर्व अधिकार प्राप्त समिति द्वारा बैठक में विचार किया गया, जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। समिति द्वारा यह पाया गया कि 420.65 किलोमीटर की कुल प्रस्तावित लंबाई में से 272.45 किलोमीटर सड़क की मौजूदा सतह मिट्टी/मौरम/बजरी/ट्रैक है, जो कुल प्रस्ताव का 65% है, यानी लगभग 2/3 प्रस्ताव कच्ची सड़कों का है, जो कि मौजूदा थ्रू- रूट या प्रमुख ग्रामीण लिंक नहीं है। राज्य को पीएमजीएसवाई-III के तहत अब तक 5,821 किलोमीटर लंबी सड़क स्वीकृत की गई थी, जिसमें केवल 564 किलोमीटर मिट्टी/मौरम/बजरी/ट्रैक की सतह (कुल प्रस्ताव का 9.68%) थी, जबकि वर्तमान प्रस्ताव में प्रस्तावित लंबाई का लगभग 65% मिट्टी/ मौरम/बजरी/ट्रैक आदि था। पीएमजीएसवाई-III का उद्देश्य मौजूदा थ्रू रूट्स और प्रमुख ग्रामीण लिंक का उन्नयन है। राजस्थान राज्य ग्रामीण सड़क संपर्कता के मामले में पहले से ही एक अच्छी तरह से विकसित राज्य है और इस लिए, राज्य को यह औचित्य बताने के लिए कहा गया था कि किस तरह असामान्य रूप से अधिक कच्चे भाग वाली प्रस्तावित सड़कें थ्रू-रूट्स/प्रमुख ग्रामीण लिंक्स की परिभाषा में आती हैं और पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत पात्र हैं।

समिति ने यह भी पाया कि अधिकांश प्रस्तावों के निम्न ट्रेस मैप रैंक थे, जो उनके कम उपयोगिता मूल्य को दर्शाता है। राज्य को कार्यक्रम दिशानिर्देशों के संदर्भ में प्रस्तावों की पात्रता की जांच करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। तथापि, बाद में 3 सितंबर, 2021 को राज्य ने प्रस्तावों को वापस लेने और संशोधित प्रस्ताव (**अनुबंध-IV**) प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात् मंत्रालय ने संशोधित प्रस्तावों को शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए संबंधित विभाग/नोडल एजेंसी को बार-बार अनुरोध किया ताकि नागौर जिले के प्रस्तावों को स्वीकृत किया जा सके। राज्य ने फरवरी, 2022 माह में नागौर जिले के लिए 313 किलोमीटर के 31 सड़क कार्यों के प्रस्तावों को अपलोड किया, जिसमें नागौर संसदीय क्षेत्र की 28 सड़कें और राजसमंद संसदीय क्षेत्र की 3 सड़कें शामिल थी। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, प्रस्ताव कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किए गए थे। 27 सितंबर, 2021 को पंचायत समिति द्वारा प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। माननीय सांसद की सिफारिश 17 जनवरी, 2022 को राज्य को प्राप्त हुई, जिसमें 308 किलोमीटर की 30 सड़कें शामिल हैं। जिला परिषद ने 24 जनवरी, 2022 को हुई अपनी बैठक में पंचायत समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के विपरीत 338.95 किलोमीटर की 33 सड़कों (नागौर संसदीय क्षेत्र के लिए माननीय सांसद द्वारा अनुशंसित 308 किलोमीटर की सभी 30 सड़कों और राजसमंद निर्वाचन क्षेत्र की 31 किलोमीटर की 3 सड़कों) के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

राज्य सरकार द्वारा अपलोड किए गए नागौर जिले के अंतिम प्रस्ताव पर 24 मार्च, 2022 को राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) की बैठक में विचार किया गया था। **एसएलएससी (राज्य) ने निर्णय लिया कि पीएमजीएसवाई-III के**

दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय को अपलोड/विचार के लिए भेजे जाने चाहिए (अनुबंध-V)

एसएलएससी की सिफारिश के अनुसरण में मंत्रालय ने 313 कि.मी. के 31 सड़क कार्यों के प्रस्ताव पर शीघ्रता से विचार किया था। राज्य सरकार से पीएमजीएसवाई-III के तहत सड़क कार्यों की आयोजना और चयन में माननीय संसद सदस्यों की भूमिका के संबंध में मंत्रालय के दिनांक 02 जून, 2020 के परामर्शपत्र में उल्लिखित सभी औपचारिकताओं को पूरा करने और इस मंत्रालय को सूचित करने लिए कहा गया था। राज्य सरकार ने अपने अनुपालन में अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया है कि नागौर जिले के संबंध में 32 सड़कों में से 29 सड़कें नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 3 राजसमंद निवार्चन क्षेत्र से संबंधित है। राजसमंद निवार्चन क्षेत्र की माननीया संसद सदस्य सुश्री दीया कुमारी ने राजसमंद निवार्चन क्षेत्र के 03 प्रस्तावों के संबंध में सहमति भेजी थी। जहां तक नागौर निवार्चन क्षेत्र के 29 सड़क प्रस्तावों का संबंध है राज्य सरकार ने दिनांक 05.04.2022 के पत्र के माध्यम से माननीय संसद सदस्य से अनुरोध किया था कि वे ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिनांक 02 जून, 2020 के परामर्शपत्र के संबंध में अपनी सहमति अग्रेषित करें (अनुबंध-VI) तथापि, माननीय संसद सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल से कोई सहमति प्राप्त नहीं हुई (अनुबंध-VII) इस मंत्रालय के दिनांक 02 जनू, 2020 के परामर्शपत्र के संबंध में माननीय संसद सदस्य को प्रस्तावों की अंतिम सूची पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए 15 दिन का पर्याप्त समय दिया गया था। इस मामले में माननीय सांसद ने 15 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए, मंत्रालय ने 26 जुलाई, 2022 को 335.09 किमी की 32 सड़कों के लिए राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को मंजूरी दी।

उपरोक्त के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रस्तावों को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर तथा कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकृत किया गया है। प्रस्ताव की स्वीकृति में किसी प्रकार की मनमानी नहीं की गई है तथा जनप्रतिनिधियों से परामर्श की प्रक्रिया दिशा- निर्देशों के अनुसार की गयी है।"

7. तत्पश्चात समिति ने **17** सितंबर, **2022** को हुई अपनी बैठक के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिए। तथापि, मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लेने से पहले समिति ने श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य, लोक सभा के अभ्यावेदन पर उनके विचार सुनने का अवसर प्रदान किया, जिन्होंने निम्नवत बताया:-

(i) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना)पीएमजीएसवाई (देश के ग्रामीण क्षेत्रों के दूरस्थ इलाकों को सड़क से जोड़ने की भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। पीएमजेएसवाई का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र के पात्र बसावटों, जो सड़क से नहीं जुड़े हैं, को बारहमासी सड़क से जोड़ना है।

(ii) पीएमजीएसवाई-। योजना का लक्ष्य मैदानी क्षेत्र में 500या उससे अधिक व्यक्तियों के जनसंख्या वाले और पहाड़ी राज्यों, जनजातियों और रेगिस्तानी क्षेत्र के 250या उससे अधिक व्यक्तियों वाले गांवों को सड़के प्रदान करना था।

(iii) पीएमजीएसवाई-।। योजना के लक्ष्य में 50, 000किलोमीटर लंबी सड़क को अपग्रेड करना भी शामिल था।

(iv) 2019में पीएमजीएसवाई-III योजना के अंतर्गत वर्तमान 'माध्यमिक मार्ग' और 'मुख्य ग्रामीण मार्ग' जो ग्रामीण कृषि बाजार)ग्राम्स(, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, अस्पतालों को बस्तियों से जोड़ता है, को अपग्रेड करके वर्तमान ग्रामीण नेटवर्क में समेकित किया जाना था। यह सरकार की बहुत अच्छी पहल थी।

(v) नागौर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (राजस्थान) में जहां अधिकतर हिस्से रेगिस्तानी क्षेत्र है, के छोटे गांवों को 'धानी' कहा जाता है, को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता है।

(vi) पीएमजीएसवाई-III योजना के कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार, विकास कार्यों के लिए सड़कों के चयन/प्राथिमिकता और निर्धारण के लिए संसद सदस्यों के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

(vii) ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को 2020 में लगभग 348 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र के सड़कों को अपग्रेड करने का प्रस्ताव दे दिया गया था। तथापि तत्संबंधी स्वीकृति नहीं मिलने के कारण 308 किलोमीटर के 30 सड़कों को अपग्रेड करने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव पुनः भेजा गया था, जिसे बाद में स्वीकृति नहीं मिली।

(viii) संशोधित प्रस्ताव प्रसांगिक दिशानिर्देशों के अनुरूप थी और इसकी व्यापक स्तरोन्नयन-सह-समेकन प्राथमिकता सूची (सीयूसीपीएल) के अनुसार संबंधित पंचायत समिति और जिला परिषद द्वारा समुचित सिफारिश की गई थी।

(ix)नागौर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (राजस्थान) में सड़क स्तरोन्नयन/विकास कार्यों के लिए निविदा हाल ही में जारी की गई है।

8. तत्पश्चात ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रतिनिधियों ने इस मामले पर अपने विचार निम्नवत रखें:-

(i) ग्रामीण विकास मंत्रालय)ग्रामीण विकास विभाग (केवल पीएमजीएसवाई का मार्गदर्शी सिद्धांत बनाती है और यह निर्माण और/या स्तरोन्नयन/समेकन/सड़को के विकास के लिए सड़को का चयन नहीं करती है। यह निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्थानीय या राज्य स्तर पर किया जाता है।

(ii) सड़क संबंधी कार्यों के अनुमोदन पर अंतिम निर्णय मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर लिया जाता है।

(iii) पीएमजीएसवाई के चरण-। के अंतर्गत पूरा ध्यान केवल नई कनेक्टिविटी पर है। इस चरण के अंतर्गत लगभग 6लाख किलोमीटर नए रोड़ बनाए गए। चरण-।। के अंतर्गत चूंकि इन निर्मित सड़कों पर यातायात बढ़ गया है इसलिए पूरा ध्यान ग्रोथ सेंटरों के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कनेक्टिविटी प्रदान करने की आवश्यकता पर है। चरण-।।। के अंतर्गत ग्रोथ सेंटरों के अतिरिक्त स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं तथा कृषि बाजारों को जोड़ा जाना था।

(iV) जहां तक पीएमजीएसवाई-।।। के अंतर्गत सड़कों के चयन का संबंध है। चयनित सड़कों को मुख्यत :'थ्रू रूट्स' माना जाता है। वे सड़कें जो बहुत बड़े क्षेत्रों की आबादी को जोड़कर एक बड़ी जनसंख्या के लिए प्रयुक्त होती है और जो छोटे-छोटे सड़कों से यातायात के संग्राहक के रूप में कार्य करती है उन्हें 'थ्रू रूट्स' माना जाएगा। एक ब्लॉक में सभी 'थ्रू रुटों/प्रमुख ग्रामीण संपर्क सड़कों' की पहचान की जाएगी और ट्रेस मैप की सहायता से सड़कों की सूची बनाते समय उनको नंबर दिया जाएगा। यदि वे पीएमजीएसवाई-।।। के उद्देश्यों को पूरा करते तो राज्य सड़कों के चयन के लिए इन सभी अभिज्ञात 'थ्रू रुट्स' के उपयोगिता मूल्य की गणना कर सकते हैं। इसके बाद उपयोगिता मूल्य/स्कोर के आधार पर रैंकिंग किया जाता है। इसके अतिरिक्त रैंकिंग का विभिन्न स्तरों यथा मध्यस्थ पंचायत, जिला पंचायत और राज्य स्तरीय स्थायी समिति के स्तर पर जांच की जाती है।

(V) कुछ सड़कें हो सकती हैं जिनके सतह की मरम्मत से ही उनमें सुधार किया जा रहा है। राज्य समेकन और उन्नयन के मध्य प्राथमिकता निर्धारित कर सकती है और राइडिंग की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ऐसे सड़कों का प्रस्ताव कर सकती है। किसी भी स्थिति में ऐसे सड़कों की कुल लंबाई)राइडिंग गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रस्तावित (ग्रामीण बाजारों/विद्यालयों/अस्पतालों को जोड़नें की समान मानदंडों के साथ राज्य विशिष्ट आवंटन का 20प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। राइडिंग गुणवत्ता को प्राथमिकता देने के लिए सभी स्तरोन्नयन और सुधार)अधिकतम सीमा 20प्रतिशत के साथ (इस सूची से किया जा रहा है।

(Vi) पीएमजीएसवाई-।।। योजना के कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता क्रम (पीसीआई के अध्यधीन) का अनुपालन करते हुए

वार्षिक प्रस्ताव सीयूसीपीएल पर आधारित होगा। तथापि विशेष रूप से 'थ्रू रुट्स' के चयन में गलती से भूल-चूक होने की संभावना है। तदानुसार यह वांछनीय है कि वार्षिक प्रस्तावों में सड़क कार्यों के चयन को अंतिम रूप देते समय जन-प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। संसद सदस्यों के प्रस्तावों पर पूर्ण विचार किए जाने की जरूरत है।

(VI) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार माननीय संसदीय सदस्य से उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए दिनांक 18.02.2022 और 05.04.2022 के पत्राचार के माध्यम से दो बार संपर्क किया गया। तथापि यह प्राप्त नहीं हो सकी।

9. इसी बीच, श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य, लोक सभा ने 5 अगस्त, 2022 के अपने पिछले अभ्यावेदन पर दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 को एक प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया था, जिसमें माननीय संसद सदस्य ने अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया है कि 2019 में शुरू की गई पीएमजीएसवाई-III योजना, जिसमें मौजूदा 'थ्रू रूटों' और 'प्रमुख ग्रामीण लिंकों' के उन्नयन द्वारा ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएम), उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, अस्पतालों से बस्तियों को जोड़कर मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के सुदृढिकरण की परिकल्पना की गई है, सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने आगे कहा कि उक्त योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, 'थ्रू रूटों/प्रमुख ग्रामीण लिंकों' के लिए उम्मीदवार का चयन करते समय, जन प्रतिनिधियों/संसद सदस्यों (एम.पी) के प्रस्तावों, यदि कोई हों, पर पूर्ण विचार किया जाता है। तथापि, उनके नागौर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (राजस्थान) के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों के संबंध में उन्हें ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। इस संबंध में उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य को कुल 8662.50 किलोमीटर सड़क आवंटित की गई थी, जिसमें 348.50 किलोमीटर की 39 सड़कें हैं। नागौर जिले

को पीएमजीएसवाई-III योजना के तहत शामिल किया गया था। उन्होंने तर्क दिया है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनके द्वारा अनुशंसित 39 सड़कों के प्रस्ताव में 10% से अधिक कच्ची सतह है, जिसके कारण प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जा सकी है। तथापि, यदि कच्ची सतह के 10% से कम के मानदण्ड को राज्य स्तर पर लागू किया गया है, तो उनके प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता था।

10. माननीय संसद सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल ने दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित तथ्यों को सामने रखा:-

(i) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को सामाजिक-आर्थिक दशा के उत्थान के उद्देश्य से मैदानी क्षेत्रों में 500+ और पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250+ की आबादी वाली पात्र सड़क संपर्क विहीन बसावटों (पीएमजीएसवाई-I) को बारहमासी सड़क द्वारा ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना के रूप में शुरू किया गया था। इसके बाद, मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क की समग्र दक्षता में सुधार करने के लिए 50,000 किलोमीटर के उन्नयन के लक्ष्य के साथ पीएमजीएसवाई-II नामक एक नया घटक शुरू किया गया इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

(ii) तत्पश्चात सरकार ने बसावटों को अन्य के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएम), उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जोड़ने वाले 1,25,000 कि.मी. लंबे मौजूदा थ्रू रूटों और प्रमुख ग्रामीण लिंक रूटों के सुदृढ़ीकरण के लिए पीएमजीएसवाई-III को वर्ष 2019 में शुरू किया। यह कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर मौजूदा

थ्रू रूटों और प्रमुख ग्रामीण लिंक रूटों के उन्नयन पर केंद्रित है, जो एक अच्छी पहल है।

(iii) पीएमजीएसवाई-III के दिशा-निर्देशों में सड़कों की आयोजना और चयन के समय जन प्रतिनिधियों के साथ परामर्श की व्यवस्था मौजूद है। पीएमजीएसवाई-III के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सड़कों के चयन के विषय में संसद सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर पूर्ण विचार किया जाता है और इस प्रकार के जिन प्रस्तावों को शामिल नहीं किया जा सकता है उन प्रस्तावों और उन्हें शामिल न किए जाने के कारणों की लिखित जानकारी प्रत्येक मामले में संसद सदस्यों को दी जाती है। तथापि, उन्हें ऐसी कोई सूचना/ऐसा कोई कारण प्राप्त नहीं हुआ है।

(iv) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत सड़कों का चयन पात्र सड़कों के उपयोगिता मूल्य, जिसकी गणना सड़क का उपयोग करने वाली आबादी तथा संबंधित सड़क से जुड़े बाजार, शैक्षणिक, चिकित्सा और परिवहन तथा अवसंरचना सुविधाओं के आधार पर किया जाता है, के आधार पर की जाती है जो कि अच्छी पहल है।

(v) पीएमजीएसवाई-III कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार, डीपीआर तैयार करना और राज्यों के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों/इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा उनकी जांच के बाद एनआरआईडीए द्वारा 15% नमूना डीपीआर की जांच वास्तव में एक प्रभावी प्रक्रिया है। वास्तव में, नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की चयनित सड़कों के संबंध में डीपीआर और उनके नमूनों की जांच भी की गई थी।

(vi) इस तथ्य के बावजूद कि नमूना डीपीआर की जांच के बाद उठाई गई आपत्तियों को राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा हल किया गया था जिसमें नागौर जिले की 39 सड़कों (कुल लंबाई 348.50 किलोमीटर) के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई थी।

(vii) राजस्थान राज्य को पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत 8662.50 किलोमीटर सड़कों का लक्ष्य आवंटित किया गया था जिसमें नागौर जिले में 348.50 किलोमीटर लंबाई की 39 सड़कें शामिल हैं।

(viii) लोक निर्माण विभाग ने उनके संसदीय क्षेत्र में सड़कों के चयन के लिए उनकी सहमति प्राप्त करने का अनुरोध नहीं किया था। इसलिए नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सड़कों को छोड़कर राज्य की अन्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली सभी चयनित सड़कों के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ix) इस बीच, राजस्थान राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने उनसे अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए जाने वाले सड़क विकास कार्यों के लिए अनुशंसा की मांग की। इसके अनुसरण में, उन्होंने 39 सड़कों के संबंध में अपनी सिफारिशें अग्रेषित की थीं, जो पीएमजीएसवाई-III के दिशानिर्देशों को पूरा करती हैं और जिन्हें जिला परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(x) तथापि, उनके द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गई क्योंकि इसमें 'थ्रू रूटों' के अंतर्गत 10% से अधिक कच्ची सड़कें थीं। तथापि, यदि कच्ची सड़कों के कुल प्रतिशत की गणना समग्र रूप से राज्य को आबंटित कुल 8662.50 किलोमीटर सड़क लंबाई के आधार पर की गई होती, तो उनके प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार किया जा

सकता था, क्योंकि यह पीएमजीएसवाई-III के दिशानिर्देशों के अनुसार कच्ची सड़कों की 10% सीमा के भीतर आता है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य के अन्य जिलों के अंतर्गत आने वाली कुल 420.65 किलोमीटर कच्ची सड़कों को मंजूरी दी गई थी, जिसमें प्रतिशत की गणना राज्य को आवंटित सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर की गई थी।

(xi) पीएमजीएसवाई की शुरुआत से पहाड़ी और मरूस्थलीय क्षेत्रों को योजना के विभिन्न चरणों में जनसंख्या और संबंधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पात्रता के संदर्भ में छूट/छूट दी गई है।

(xii) नागौर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है जो मुख्य रूप से एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। इसे ध्यान में रखते हुए, यदि पीएमजीएसवाई-III दिशा-निर्देशों के सख्त कार्यान्वयन पर कुछ छूट/रियायत दी जाती तो उनके प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार किया जा सकता था और तदनुसार, मरूस्थलीय क्षेत्र/धानियों में रहने वाले लोगों को सुविधा प्रदान की जा सकती थी, जो इस योजना का उद्देश्य होने के साथ-साथ केन्द्र सरकार का अंतिम इरादा भी है। हालांकि, उनके प्रस्ताव को कथित तौर पर भेदभावपूर्ण तरीके से मंजूरी नहीं दी गई थी।

11. माननीय संसद सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल ने सड़कों के चयन में ऐसे मानदंडों को मनमाने ढंग से लागू करने का आरोप लगाते हुए अपने द्वारा प्रस्तावित सड़कों के उन्नयन और सुदृढीकरण को पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत शामिल करने का अनुरोध किया है।

12. चूंकि श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य, लोक सभा के दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 के प्रत्युत्तर में कुछ नए तथ्य सामने आए थे, इसलिए इसे तदनुसार उसमें उठाए गए मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) को भेज दिया गया था।

13. इसके उत्तर में, ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग), ग्रामीण संपर्क (आरसी) प्रभाग ने दिनांक 10 नवंबर, 2022 को अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या एच-12013/21/2022-आरसी (भाग-1) (एफएमएस संख्या 836631) के माध्यम से निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत कीं:–

"17 अक्टूबर, 2022 को हुई मामले की सुनवाई में विचार-विमर्श के बाद, इस मंत्रालय ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित 304.04 किलोमीटर के 29 सड़क कार्यों को मंजूरी न देने का निर्णय लिया है और राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार और संबंधित जन प्रतिनिधियों के साथ उचित परामर्श के साथ मंत्रालय द्वारा विचार के लिए नया प्रस्ताव प्रस्तुत करे। तदनुसार, इस मंत्रालय के पत्रांक एच.12013/21/2022-आरसी दिनांक 9 नवंबर, 2022 के माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है। (अनुलग्नक VIII)

टिप्पणियां/सिफारिशें

राजस्थान राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यान्वयन का अवलोकन

14. समिति ने ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) से प्राप्त टिप्पणियों के सदर्भ में श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य, लोकसभा के अभ्यावेदन की जांच करते हुए पाया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) एकबारगी विशेष समाधान के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य निर्दिष्ट जनसंख्या आकार (2001 की जनगणना के अनुसार, मैदानी क्षेत्रों में 500+ और उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों, हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों में 250+, कुछ अन्य निर्दिष्ट क्षेत्र) के अनुसार पहुँच-मार्ग से रहित बस्तियों के लिए एक बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण संपर्क प्रदान करना विशेषतः ग्रामीण आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उत्थान करना था। समिति ने आगे नोट करती है कि इस कार्यक्रम के दायरे को बाद में और व्यापक किया गया था और वर्ष 2013 में पीएमजीएसवाई-II नाम से एक नया कार्यक्रम मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के 50,000 किलोमीटर को अपग्रेड करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था ताकि लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के लिए परिवहन सेवाएं प्रदाता के रूप में इसकी समग्र दक्षता में सुधार हो सके।

15. समिति यह भी नोट करती है कि ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएम) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों को बस्तियों से जोड़ने वाले मौजूदा 1,25,000 किलोमीटर 'मुख्य रास्तों' और 'प्रमुख ग्रामीण लिंक रास्तों' के समेकन के लिए वर्ष 2019 में पीएमजीएसवाई-III की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम ग्रामीण बाजारों, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए प्राथमिकता के आधार पर मौजूदा 'मुख्य रास्तों' और 'प्रमुख ग्रामीण लिंक रास्तों' के उन्नयन पर केंद्रित है। इस संबंध में समिति आगे नोट करती है कि कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निहित हैं कि नए जीआरएएम /गोदामों, सरकारी अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को यदि वे पहले से ही पक्की सड़क से जुड़े नहीं हैं या मौजूदा सड़कों को मजबूत और चौड़ा करने की आवश्यकता है, तभी उन्हें जोड़ने के लिए उन्नयन परियोजना के एक भाग के रूप में निर्माण की अनुमति दी जा सकती है।

16. राजस्थान राज्य में पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के बारे में समिति को सूचित किया गया कि राजस्थान राज्य ने पीएमजीएसवाई-I और II के तहत, पीएमजीएसवाई-I के तहत 1 पुल निर्माण के कार्य को छोड़कर जिसे सितंबर, 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, राज्य में स्वीकृत सभी कार्यों को पहले ही पूरा कर लिया है। समिति को आगे बताया गया कि राजस्थान को पीएमजीएसवाई-III के तहत 8,662.50 किलोमीटर लंबी सड़क का लक्ष्य आवंटित

किया गया था, जिसके तहत 2019-20 के प्रथम चरण में 20 फरवरी, 2020 तक राज्य को 2,198 किलोमीटर सड़क निर्माण की मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, राजस्थान सरकार ने 2020-21 के चरण-1 में 3,840 किलोमीटर लंबे अन्य 402 सड़क कार्यों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

17. समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि वर्ष 2019 में पीएमजीएसवाई-III शुरू होने के बावजूद भी राजस्थान राज्य में पीएमजीएसवाई-I के तहत एक पुल का निर्माण अभी भी लंबित है। समिति यह नोट कर निराश है कि पीएमजीएसवाई-III के तहत 8,662.50 किलोमीटर सड़क की लंबाई के कुल आवंटित लक्ष्य के मुकाबले वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए चरण-I में सड़क उन्नयन और समेकन कार्यों की गति धीमी है। इस संबंध में समिति चाहती है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) को पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते एक ओर बजटीय आवंटन के अनुसार वित्तीय संसाधनों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए और दूसरी ओर योजना के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वास्तविक प्रगति में आने वाली बाधाओं जैसे भूमि अधिग्रहण, वन क्षेत्र मंजूरी आदि में देरी को दूर करना सुनिश्चित करें। साथ ही, मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन की गति को बनाए रखने के लिए उनकी निष्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए।

इस कड़ी में, समिति आगे मंत्रालय से आग्रह करना चाहेगी कि मंत्रालय पीएमजीएसवाई-III के तहत सड़क उन्नयन और समेकन कार्यों के लिए प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए सभी बाधाओं को तुरंत दूर करने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की मदद करे ताकि उनकों एक निश्चित समय-सीमा में मंजूरी दी जा सके। समिति इस प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर उपरोक्त सभी पहलुओं पर नए सिरे से दृष्टिकोण तैयार करने की दिशा में उठाए गए / उठाए जाने के लिए प्रस्तावित आवश्यक कदमों से अवगत होना चाहेगी। समिति सभी राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में और विशेष रूप से राजस्थान राज्य में पीएमजीएसवाई-III के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी से भी अवगत होना चाहेगी।

<u>पीएमजीएसवाई-III के तहत सड़कों के चयन और स्वीकृति की प्रक्रिया</u>

18. समिति श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य, लोकसभा के इस अभ्यावेदन की जांच के दौरान, नोट करती है कि राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा पीएमजीएसवाई-III के तहत सड़कों का चयन सड़कों की उपयोगिता, सड़क और बाजार, शैक्षिक, चिकित्सा और परिवहन बुनियादी सुविधाओं से संबंधित सड़क से जुड़ी आबादी के आधार पर किया जाता है। समिति को ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) द्वारा सूचित किया गया था कि "ट्रेस मैप" नामक एक अत्याधुनिक नेटवर्क प्लानिंग एल्गोरिदम विकसित किया गया है, जो ऐसी सड़कों को आबादी के

आधार पर ग्रामीण सड़कों की पहचान करने और उन्हें रैंक करने के लिए प्रत्येक ग्रामीण बस्ती से इसकी निकटतम सुविधाओं तक के मार्ग और फिर प्रत्येक सड़क खंड के महत्व की पहचान करने के लिए इस जानकारी को एकत्र करने के लिए विकसित किया गया है। इस प्रकार, ट्रेस मैप एल्गोरिदम द्वारा रैंक की गई सड़कों को राजनीतिक प्रतिनिधियों, स्थानीय पीआईयू ज्ञान और अन्य स्रोतों से प्राप्त सिफारिशों के साथ जोड़ा जाता है और उन्हें 'कैंडिडेट सड़क' कहा जाता है। समिति को आगे सूचित किया गया कि ऐसी प्रत्येक कैंडिडेट सड़क के उपयोगिता मूल्य के आधार पर एक व्यापक उन्नयन-सह-प्राथमिकता सूची (सीयूसीपीएल) तैयार की जाती है, जिसे सेवा प्राप्त करने वाली जनसंख्या, कृषि बाजार, शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाएं, परिवहन अवसंरचना चरों और उनकी भारिता के जैसे मापदंडों के आधार पर परिकलित किया जाता है। इसके बाद, सभी उन्नयन प्रस्ताव सीयूसीपीएल के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं।

19. इस संबंध में, समिति को आगे सूचित किया गया कि पीएमजीएसवाई कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्व-आवश्यकताओं /अनुमोदन पूरा होने के बाद वार्षिक प्रस्तावों को ऑनलाइन प्रबंधन निगरानी प्रणाली (ओएमएमएएस) यानी पीएमजीएसवाई एमआईएस में राज्य सरकार (सरकारों) द्वारा अपलोड किया जाता है। हालांकि, राज्य (राज्यों) द्वारा अपलोड किए गए प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले परियोजना प्रस्तावों में सुधार के लिए कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न

स्तरों पर डीपीआर की जांच की जाती है। सभी डीपीआर की जांच राज्य तकनीकी एजेंसियों (एसटीए), द्वारा की जाती है जिन्हें राज्य के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों/इंजीनियरिंग कॉलेजों से चुना जाता हैं। इसके अलावा, 15% डीपीआर नमूनों की एनआरआईडीए (मंत्रालय) स्तर पर भी जांच की जाती है और अनुपालन हेतु टिप्पणियां संबंधित राज्यों को भेजी जाती है। इसके अलावा, एनआरआईडीए द्वारा चुने गए 10% नमूना डीपीआर की प्रधान तकनीकी एजेंसियों (पीटीए) द्वारा जांच की जाती है, जिन्हें प्रतिष्ठित आईआईटी/एनआईटी/इंजीनियरिंग कॉलेजों से चुना जाता हैं। एनआरआईडीए/पीटीए की टिप्पणियों की राज्यों द्वारा अनुपालन के बाद, इन प्रस्तावों को एनआरआईडीए के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक पूर्व अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में जांच के लिए प्रस्तुत किया जाता है और इसमें राज्य सरकार (सरकारों) के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसके बाद पीएमजीएसवाई-III दिशा-निर्देशों, तकनीकी मापदंडों, लागत आदि के संदर्भ में प्रस्ताव की जांच की जाती है और इस संबंधम में प्राप्त टिप्पणियों को राज्यों को सूचित किया जाता है। इसके बाद, राज्य फिर से इन टिप्पणियों का अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। सभी आवश्यक दस्तावेज और अनुपालन पूर्ण होने और कोई बड़ी क्षमता या संस्थागत कमी न होने और ओएमएमएएस में डेटा भी संतोषजनक पाए जाने पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्ताव को रखा जाता है। इसके बाद, अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशें

ग्रामीण विकास मंत्री को प्रस्तुत की जाती हैं और यदि प्रस्ताव कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो उन्हें स्वीकृत किया जाता है।

20. समिति पाती है कि पीएमजीएसवाई-III के तहत सड़कों के उन्नयन और समेकन के लिए सड़कों के चयन से लेकर उनकी मंजूरी तक एक सुपरिभाषित और व्यापक प्रक्रिया मौजूद है। हालांकि, पीएमजीएसवाई-III के तहत सड़कों का चयन मुख्य रूप से संबंधित राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों द्वारा पात्र सड़कों के उपयोगिता मूल्य के आधार पर किया जाता है, समिति की यह दृढ़ राय है कि चूंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) पीएमजीएसवाई-III के तहत सड़क के उन्नयन और समेकन कार्यों को अंतिम रूप देने और मंजूरी देने के लिए शीर्ष निकाय है और जब संबंधित राज्य सरकार (सरकारों) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को केवल कुछ अपूर्ण तकनीकी औपचारिकताओं/कमियों के कारण एडवांस चरण में विचार और अनुमोदन में विलंब किया जाता है और तो मंत्रालय अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता है। इस संदर्भ में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पीएमजीएसवाई-I और II पहले ही लागू किए जा चुके हैं, समिति का सुझाव है कि पीएमजीएसवाई- III के मार्गदर्शक सिद्धांतों के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते मंत्रालय के पास पीएमजीएसवाई-III कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के तहत सड़कों के उनकी उपयोगिता और तर्क के आधार पर सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद चयन के मानदंड में ढील/ छूट देने के लिए, कुछ अधिभावी शक्तियां

हो सकती हैं, जिन पर राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में उचित विचार नहीं किया गया हो सकता है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) को राज्य सरकार (सरकारों) के प्रतिनिधियों और क्षेत्रीय स्तर पर अन्य हितधारकों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करनी चाहिए ताकि उन्हें कार्यक्रम दिशानिर्देशों के मूल सिद्धांतों के बारे में शिक्षित किया जा सके ताकि राज्य (राज्यों) से प्राप्त प्रस्तावों में न्यूनतम खामियाँ हो और शीघ्र स्वीकृति के लिए उन पर विचार किया जा सके। समिति इस प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर उपरोक्त सभी पहलुओं के संबंध में उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित आवश्यक कदमों से अवगत होना चाहेगी।

ऑनलाइन निगरानी प्रबंधन और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) के माध्यम से पीएमजीएसवाई-III के कार्यान्वयन की निगरानी

21. समिति ने श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन की जांच करते हुए पाया कि पीएमजीएसवाई कार्यक्रम दिशानिर्देशों के संदर्भ में पूर्व-आवश्यकताओं/ अनुमोदनों की पूर्ति के बाद, वार्षिक प्रस्तावों को राज्य सरकारों द्वारा ऑन-लाइन प्रबंधन निगरानी प्रणाली (ओएमएमएएस) अर्थात पीएमजीएसवाई एमआईएस प्रणाली में अपलोड किया जाता है। तथापि, जहां तक इसके कार्यात्मक पहलू का संबंध है और क्या ओएमएमएएस प्रणाली पर्याप्त कुशल

और प्रभावी है समिति इस बारे में कुछ और स्पष्टता चाहती है और क्या राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र ओएमएएस प्रणाली पर अपनी स्वीकृति/ अनुमोदन और कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वार्षिक प्रस्तावों से संबंधित अपने आंकड़ों को यदि वास्तविक समय के आधार पर नहीं हो तो आवधिक/ नियमित रूप से अद्यतन करते हैं । यद्यपि, पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत जमीनी स्तर पर सड़क विकास कार्यों की वास्तविक प्रगति का नियमित अंतराल पर वास्तविक सत्यापन सर्वाधिक वांछनीय होता है, तथापि, समिति का आग्रह है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) को ओएमएमएएस प्रणाली के उन्नयन के लिए ऐसे ढंग से कार्य करना चाहिए कि इसमें पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत वार्षिक प्रस्तावों के अतिरिक्त, सड़क विकास कार्यों की स्वीकृति/ अनुमोदन और कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में सभी संगत सूचनाएं शामिल की जा सकें और इसे वास्तविक समय के आधार पर दर्शाया जाए ताकि इसे योजना की निगरानी के लिए एक प्रभावी साधन बनाया जा सके। इसके अलावा, ओएमएएस प्रणाली पर काम कर रहे राज्य सरकार के अधिकारियों को अपेक्षित कौशल प्राप्त करने हेतु उनके लिए नियमित प्रशिक्षण/ कार्यशालाएं भी आयोजित की जानी चाहिए। समिति इस प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत किए जाने की तारीख के तीन माह के भीतर इस संबंध में उठाए गए/ उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों से अवगत होना चाहेगी।

पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत सड़कों की आयोजना और चयन के लिए जन प्रतिनिधियों से परामर्श

22. समिति को श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य, लोकसभा द्वारा प्रस्तुत इस अभ्यावेदन की जांच के दौरान, ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) द्वारा बताया गया कि पीएमजीएसवाई-III दिशानिर्देशों में सड़कों की आयोजना और चयन में जन प्रतिनिधियों से परामर्श के लिए एक आंतरिक तंत्र है। पीएमजीएसवाई-III दिशा-निर्देशों के अनुसार, सड़कों के चयन के संबंध में संसद सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर समुचित विचार किया जाता है और यदि किसी प्रस्ताव को शामिल नहीं किया जाता है तो प्रत्येक मामले में ऐसे प्रस्ताव को शामिल न किए जाने के कारणों के साथ संसद सदस्यों को लिखित रूप में सूचित किया जाता है। समिति को आगे यह भी बताया गया कि राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय को मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय कार्यक्रम दिशानिर्देशों के संगत प्रावधानों की ओर पर्याप्त ध्यान देना सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने 2 जून, 2020 को राज्यों को एक 'परामर्श' जारी किया था, जिसके माध्यम से राज्य सरकारों को अन्य बातों के साथ-साथ यह सलाह दी गई थी कि, प्रस्तावों के प्राथमिकता क्रम में अंतिम सूची की सूचना, प्रस्तावों में कतिपय सड़कों को शामिल न किए जाने के कारणों के साथ संसद सदस्य को दें और भारत सरकार को अनुमोदन के लिए भेजे गए प्रस्तावों पर उनकी सहमति प्राप्त करें।

23. समिति नोट करती है कि पीएमजीएसवाई-III कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में सड़कों के चयन के चरण सहित कार्यक्रम की आयोजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में जन प्रतिनिधियों/ संसद सदस्यों के साथ परामर्श हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं। इस संदर्भ में, समिति पीएमजीएसवाई-III दिशा-निर्देशों के पैरा 5.3 को रेखांकित करना चाहेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्धारित किया गया है: -

"प्रारंभिक सीयूसीपीएल तैयार होने और सत्यापित होने के बाद इसे जिला पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों को सीयूसीपीएल सुझावों की एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी और उनके तथा निचले स्तर की पंचायती संस्थाओं के सुझावों पर जिला पंचायत द्वारा अपना अनुमोदन देते समय पूर्ण विचार किया जाएगा। अनुमोदित सीयूसीपीएल सभी उन्नयन प्रस्तावों का आधार होगा। ऐसे प्रस्ताव, जिन्हें शामिल नहीं किया जा सकता है, प्रत्येक मामले में उन्हें शामिल नहीं किए जाने के कारणों के साथ संसद सदस्यों को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।"

समिति का मानना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) द्वारा राज्य सरकारों/ राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों को परामर्श जारी किया जा रहा होगा, जिनमें पीएमजीएसवाई-III कार्यक्रम दिशानिर्देशों के तहत संगत प्रावधानों के कड़े अनुपालन पर जोर दिया गया होगा, जिसमें सड़कों की आयोजना

और चयन की प्रक्रिया के दौरान जन प्रतिनिधियों/ संसद सदस्यों के साथ परामर्श के लिए विस्तृत प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। यद्यपि, समिति मानती है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) द्वारा 2 जून, 2020 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-III के तहत '*सड़क निर्माण कार्यों की योजना बनाने और चयन में माननीय संसद सदस्य की भूमिका* ' विषय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/ पीएमजीएसवाई प्रभारी सचिवों को ऐसे ही एक परामर्श जारी किया गया था, जिसके पैरा 3.6, 5.5, 7.1 और 7.3 में निहित संगत प्रावधानों पर बल देते हुए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से संसद सदस्यों के साथ परामर्श से संबंधित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, समिति की सुविचारित राय में, निर्वाचित जन प्रतिनिधियों/ संसद सदस्यों की भूमिका केवल सरकार द्वारा किए गए किसी भी विकास कार्य के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए उन्हें आमंत्रित करने की 'औपचारिक भूमिका' तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि संसद सदस्य, जो किसी भी सार्वजनिक कल्याणकारी उपायों की योजना बनाते समय शामिल होते हैं, के विचारों/सुझावों पर हमेशा उचित विचार किया जाना चाहिए ताकि प्रारंभिक चरण से परियोजना के पूरा होने तक उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसलिए, समिति ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) से सिफारिश करती है कि वह इस मामले में

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त और आवश्यक परामर्श जारी करे और यह सुनिश्चित करे कि राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र उचित संज्ञान लेकर उनके विचारों/सुझावों पर विचार कर सभी संबंधित मुद्दों पर संसद के सदस्यों के साथ परामर्श के लिए पीएमजीएसवाई कार्यक्रम दिशानिर्देशों के तहत की गई शर्तों का कड़ाई से पालन करें। इसी क्रम में समिति मंत्रालय से यह भी सिफारिश करती है कि उनके द्वारा प्रशासित की जा रही अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में दिशा-निर्देशों में भी इसी प्रकार के प्रावधान का उल्लेख किया जाना चाहिए। समिति इस प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर इस संबंध में उठाए गए/ उठाए जाने वाले उपयुक्त और आवश्यक कदमों से अवगत होना चाहेगी।

श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा उठाए गए मुद्दे

24. समिति ने ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि पीएमजीएसवाई-III के तहत सड़क निर्माण कार्यों की आयोजना और चयन में संसद सदस्यों की भूमिका के संबंध में मंत्रालय के दिनांक 2.6.2020 के परामर्श के अनुसार, नागौर निर्वाचन क्षेत्र के माननीय संसद सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल से राजस्थान सरकार द्वारा अपने 05.6.2020 के पत्र सं. 275 के माध्यम से नागौर जिले में 216.98 किलोमीटर की लंबाई की प्रस्तावित 28 सड़कों के संबंध में अपनी सहमति देने का

अनुरोध किया गया था। तथापि, 15 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर माननीय संसद सदस्य से कोई सहमति प्राप्त नहीं हुई थी। इस बीच, मंत्रालय को श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य, लोक सभा से माननीय ग्रामीण विकास मंत्री को संबोधित दिनांक 28.6.2020 की एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया कि नागौर संसदीय क्षेत्र के परियोजना प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उनसे परामर्श नहीं किया गया था और यह अनुरोध किया गया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया जाए और राज्य सरकार द्वारा उनकी स्पष्ट सिफारिशों के साथ नए प्रस्ताव तैयार किए जाएं। तदनुसार, नागौर जिले की 28 सड़कों (माननीय संसद सदस्य द्वारा अनुरोध के अनुसार) को छोड़कर 3,623 किलोमीटर की केवल 374 सड़कों के प्रस्ताव दिनांक 23.7.2020 को स्वीकृत किए गए। इसके बाद, राज्य सरकार से पीएमजीएसवाई-III कार्यक्रम दिशानिर्देशों और दिनांक 2.6.2020 के ' परामर्श ' के अनुसार नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध भी किया गया था।

25. समिति यह भी नोट करती है कि राज्य सरकार ने 420.65 किलोमीटर लंबाई की 44 सड़कों के लिए एक संशोधित प्रस्ताव अपलोड किया, जिस पर पूर्व-अधिकार प्राप्त समिति द्वारा दिनांक 27.5.2021 को आयोजित बैठक में विचार किया गया था, जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। तथापि, पूर्व-अधिकार प्राप्त समिति ने पाया कि 420.65 किलोमीटर की कुल

प्रस्तावित लंबाई में से 272.45 किलोमीटर सड़क की मौजूदा सतह मिट्टी/मूरम/बजरी/ट्रैक है, जो कुल प्रस्ताव का 65% है, अर्थात प्रस्तावित सड़क के लगभग दो तिहाई भाग में कच्ची सड़कें हैं, न कि मौजूदा आम रास्ते या प्रमुख ग्रामीण संपर्क सड़कें, जो पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत लक्षित क्षेत्र हैं। यह भी देखा गया कि अधिकांश प्रस्तावों में असपष्ट ट्रेस मैप रैंक थे, जो इनकी कम उपयोगिता का परिचायक है। इसलिए, राजस्थान सरकार से प्रस्तावों की जांच करने और औचित्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था कि असामान्य रूप से अधिक कच्चे भाग वाली प्रस्तावित सड़कें किस प्रकार आम रास्ते / प्रमुख ग्रामीण संपर्कों के रूप में परिभाषित की गई हैं और पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत बनाने के लिए पात्र हैं। राजस्थान राज्य सरकार को इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया। तथापि, बाद में दिनांक 3.9.2021 को राज्य सरकार ने प्रस्तावों को वापस लेने और संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

26. समिति यह भी नोट करती है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने इसके बाद संशोधित प्रस्तावों को शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए संबंधित विभाग/ नोडल एजेंसी के साथ मामले में अनुवर्ती कार्रवाई की ताकि नागौर जिले के लिए प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सके। राज्य सरकार ने फरवरी, 2022 में नागौर जिले के लिए 313 किलोमीटर लंबाई के 31 सड़क कार्यों के लिए प्रस्ताव अपलोड किए, जिसमें नागौर संसदीय क्षेत्र के 28 सड़क कार्य और राजसमंद संसदीय क्षेत्र

के 3 सड़क कार्य शामिल थे और यह बताया कि उक्त प्रस्ताव कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए गए थे। इन प्रस्तावों को पंचायत समिति द्वारा 27.09.2021 को अनुमोदित किया गया और बाद में, राज्य सरकार को माननीय संसद सदस्य की सिफारिशें 17.1.2022 को प्राप्त हुई थीं, जिसमें 308 किलोमीटर लंबाई की 30 सड़कें शामिल थीं। जिला परिषद ने 24.1.2022 को आयोजित अपनी बैठक में पंचायत समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के विपरीत 338.95 किलोमीटर लंबाई की 33 सड़कों (नागौर संसदीय क्षेत्र के लिए माननीय संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित 308 किलोमीटर की सभी 30 सड़कें और राजसमंद संसदीय क्षेत्र की 31 किलोमीटर की 3 सड़कों) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके बाद, राज्य सरकार द्वारा अपलोड किए गए नागौर जिले के लिए अंतिम प्रस्ताव पर राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) ने 24.3.2022 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया और निर्णय लिया कि पीएमजीएसवाई-III दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र प्रस्तावों को ग्रामीण विकास मंत्रालय को विचार के लिए अपलोड किया जाना चाहिए / भेज दिया जाना चाहिए। एसएलएससी की सिफारिश के अनुरूप, संबंधित प्रस्तावों पर मंत्रालय द्वारा विचार किया गया और राज्य सरकार को मंत्रालय के दिनांक 2.6.2020 के 'परामर्श' के अनुसार सभी औपचारिकताओं को पूरा करने और उन्हें इसके बारे में अवगत कराने के लिए कहा गया। जहां तक नागौर संसदीय क्षेत्र के

29 सड़क प्रस्तावों का संबंध है, राज्य सरकार ने अपने अनुपालन में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया कि माननीय संसद सदस्य से दिनांक 5.4.2022 के पत्र के माध्यम से उनकी सहमति भेजने का अनुरोध किया गया। तथापि, 15 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी माननीय संसद सदस्य , श्री हनुमान बेनीवाल से प्रस्तावों की अंतिम सूची पर कोई उत्तर/ सहमति प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात, मंत्रालय ने 26.7.2022 को 335.09 किलोमीटर की 32 सड़कों के लिए राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।

27. समिति आगे नोट करती है कि मंत्रालय ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित 304.04 किलोमीटर के 29 सड़क कार्यों की स्वीकृति वापस लेने का निर्णय लिया है और राज्य सरकार से दिनांक 9.11.2022 के पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि वह कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए और संबंधित जनप्रतिनिधियों से उचित परामर्श कर के मंत्रालय के विचारार्थ नया प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

28. घटनाओं के उपरोक्त क्रम को ध्यान से देखते हुए, समिति यह जानकर क्षुब्ध है कि एक ओर तो ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना - III के तहत सड़क कार्यों के चयन और आयोजना में स्वतः माननीय संसद सदस्य की भूमिका पर जोर दे रहा है, वहीं दूसरी ओर, मंत्रालय ने संसद सदस्य की सहमति के बिना ही प्रस्तावों को एक बार नहीं, बल्कि मौजूदा

मामले में, जैसा कि स्पष्ट है, दो बार मंजूरी दी है। यद्यपि, राज्य सरकार ने दिनांक 5.6.2020 और 5.4.2022 के संचार के माध्यम से माननीय संसद सदस्य, श्री हनुमान बेनीवाल से नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में प्रस्तावों पर अपनी सहमति देने के अनुरोध के साथ संपर्क करने का प्रयास किया था। समिति यह देखकर निराश है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने राज्य सरकार को उसके समक्ष प्रस्तावों पर अपनी अंतिम स्वीकृति/मंजूरी देने से पहले, संबंधित संसद सदस्य से प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया/सहमति प्राप्त करने के लिए फिर से संपर्क करने हेतु जोर देने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए हैं। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या संसद सदस्य को उनके प्रस्ताव (प्रस्तावों) को शामिल करने में असमर्थता का कारण बताते हुए लिखित रूप में सूचित किया गया है, यदि वे विचाराधीन प्रस्ताव (प्रस्तावों) से भिन्न पाया गया है / पाए गए हैं। मौजूदा मामले के संदर्भ में, समिति यह जानकर क्षुब्ध है कि पीएमजीएसवाई कार्यों में माननीय संसद सदस्य के विचारों/सुझावों के विषय में उनकी भूमिका पर कोई संज्ञान और ध्यान नहीं दिया गया था। इसलिए, समिति संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से इस तरह के दुर्व्यवहार को दृढ़ता से अस्वीकार करती है, जो संबंधित पीएमजीएसवाई कार्यक्रम दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन भी है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) संबंधित राज्य सरकारों के समन्वय से यह सुनिश्चित करे कि संसद

सदस्यों द्वारा दिए गए विचारों/सुझावों पर पीएमजीएसवाई कार्यक्रम दिशानिर्देशों के दायरे में उचित विचार किया जाए। समिति विभाग से आग्रह करती है कि संसद सदस्यों से उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में किए जाने वाले विकास कार्यों के संबंध में उनके विचारों/सुझावों पर विचार न करने संबंधी प्राप्त शिकायतों पर उचित और त्वरित कार्रवाई शुरू करे। समिति इस प्रतिवेदन के सभा में प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित आवश्यक कदमों से अवगत होना चाहेगी।

29. समिति ने यह भी पाया है कि पीएमजीएसवाई-III कार्यक्रम दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित 15 दिनों की समय-सीमा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संबंधित संसद सदस्य, जो बड़ी संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आमतौर पर स्थानीय लोगों के साथ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें करते हैं, फील्ड दौरों, आधिकारिक बैठकों और संसद के सत्रों में भाग लेने आदि के कारण व्यस्त कार्यक्रम होता है, उचित प्रतीत नहीं होती है। इसलिए, समिति आग्रह करती है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) से राज्य सरकार (रों) के साथ विचार-विमर्श कर वार्षिक प्रस्तावों में सड़क कार्यों के चयन को अंतिम रूप देते समय 15 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित संसद सदस्य की सहमति प्राप्त करने के मौजूदा प्रावधान पर फिर से विचार करें और इसे छूट/विस्तारित करने के तौर-तरीके पर कार्य करें। समिति इस प्रतिवेदन के सभा

में प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह के भीतर इस दिशा में उठाए गए/प्रस्तावित ठोस कदमों की प्रतीक्षा करेगी।

30. समिति यह भी पाती है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित 304.04 किलोमीटर के 29 सड़क कार्यों की स्वीकृति वापस लेने का निर्णय लिया था और राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि वह कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालना करते हुए और संबंधित जनप्रतिनिधियों के साथ उचित परामर्श के साथ नया प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत करें। इस संबंध में, समिति ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) से आग्रह करती है कि नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए पीएमजीएसवाई- III के तहत सड़क उन्नयन और समेकन कार्यों के लिए अपने संशोधित प्रस्ताव (वों) को प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य सरकार के साथ जल्द-से-जल्द संपर्क करें जिसमें माननीय संसद सदस्य, श्री हनुमान बेनीवाल के प्रस्ताव (वों) को भी शामिल करें और राज्य सरकार के साथ मिलकर इस मुद्दे को हमेशा के लिए सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए अपने ठोस प्रयास करें। समिति को इस संबंध में सकारात्मक परिणाम की प्रतीक्षा है।

नई दिल्ली,

श्री हरीश द्विवेदी
सभापति,
याचिका समिति

23 मार्च, 2023
02 चैत्र, 1945 (शक)

अनुलग्नक -I

File No.P-17025/37/2013-RC (FMS No. 331916)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(Rural Connectivity (RC) Division)

Krishi Bhawan,New Delhi
Dated the 2nd June, 2020

All Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries In-Charge of PMGSY of all the States/UTs

Subject: Role of Hon'ble Members of Parliament in planning and selection of road works under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-III-reg.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the subject cited above and to say that the PMGSY has an in built mechanism for consultation with public representatives at various stages of planning and implementation of the programme. Advisories have been issued and reiterated from time to time to the State Governments/ State Rural Road Development Agencies, giving emphasis, inter-alia, on strict compliance of these provisions. In this regard, attention is invited again to various provisions of the PMGSY-III guidelines, which provide detailed procedure for consultation with the Members of Parliament during the process of planning and selection of roads. Some important guidelines in this respect are reproduced below:

Para3.6: The suggestions given by the Members of Parliament are to be given full consideration while finalizing District Rural Roads Plan (DRRP).

Para 5.5: The Annual proposals will be based on the CUCPL following the Order of Priority (subject to PCI). However, it is possible that there are inadvertent errors or omissions, particularly in the selection of Through Routes. Accordingly, it is desirable to also associate public representatives while finalizing the selection of road works in the annual proposals. The proposals of the Members of Parliament are required to be given full consideration, for this purpose:

i. The CUCPL should be sent to concerned MPs with the request that their proposals on the selection of works out of the CUCPL should be sent to the District Panchayat. It is suggested that atleast 15clear days may be given for the purpose.

ii. In order to ensure that the prioritization has some reference to the funding available, the size of proposals expected may also be indicated to the Members of Parliament while forwarding the CUCPL list to them. District wise allocation may be indicated to enable choice with the requisite geographical spread. It would be ensured that such proposals of Members of Parliament which adhere to the Order of Priority would be invariably accepted subject to consideration of equitable allocation of funds and need for upgradation.

iii. The proposals received from the Members of Parliament by the stipulated date would be given full consideration in the District Panchayat which would record the reason in each

case of non-inclusion. Such proposals that cannot be included would be communicated in writing to the Members of Parliament with reasons for non-inclusion of such proposals in each case. It would be preferable if the communication is issued from the Nodal Department at a senior level.

Para 7.1: After the approval by the District Panchayat, the proposals would be forwarded by the PIU to the SRRDA. The PIU will at that time prepare the details of proposals forwarded by the Members of Parliament and action taken thereon, in proforma MP-1 and MP-II and sent it along with proposals. In all cases where the proposal of an MP has not been included, cogent reasons shall be given based on the reasons given by the District Panchayat.

Para 7.3: The State Level Standing Committee (SLSC) would scrutinize the proposals to see that they are in accordance with the Guidelines and that the proposals of the Member of Parliament have been given full consideration.

2. In view of this, all the State Governments are once again requested to follow the guidelines relating to consultation with the Members of Parliament in letter and spirit, and the following needs to be ensured:

(i) Hon'ble MPs may be briefed about the PMGSY-III planning process, overall allocation and inter-se Block/District allocation etc.at the beginning of the planning exercise.
(ii) Hence,it is reiterated that final list of proposals, in order of priority, would be communicated in writing to the Member of Parliament with reasons for non-inclusion of such proposals in each case. It would be preferable if this communication is made by a senior official and their recommendation/ consent be obtained in writing on the overall proposed list. It should be ensured that the Member of Parliament receives such communication and a reasonable time of 15 days is given to them to respond with their recommendation.
(iii) Such recommendation should also be included along with MP-I and MP-II formats. If such response/ recommendation is not received in 15 days, a clear note to this effect is recorded in the proposal. Proposal to the Ministry may be sent by SRRDA along with a note regarding the process adopted by the state in dealing with the recommendations of Members of Parliament.

Yours faithfully,

(K.M. Singh)
Deputy Secretary to the Government of India
Tel No:011-23070308

Copy to: All CEOs/ Chief Engineers of PMGSY implementing States/ UTs

*****

अनुबंध -II

2020/OD (Tech)
150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत नागौर (राज0)

क्रमांक :– 275 दिनांक :– 05/06/2020

श्री हनुमान बेनीवाल,
माननीय सांसद,
कॉलेज रोड़ नागौर राजस्थान।
E-mail :- hanuman.beniwal@sansad.nic.in

विषय :– नागौर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना तृतीय चरण बैच–I वर्ष 2020–21 के तहत प्रस्तावित कार्यो पर अनुशंषा/टिप्पणियां

संदर्भ :– श्रीमान् मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर के कार्यालय पत्रांक SE (PMGSY) / PMGSY-III / 2020 / D-5555 दिनांक 04.06.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि श्रीमान मुख्य अभियन्ता के निर्देशानुसार, CUCPL में गणना के अनुसार PMGSY-III कार्यो की सूची और अंत में PMGSY-III बैच–I वर्ष 2020–21 के तहत प्रस्तावित सडक कार्यो की सूची जिला नागौर में आपको अनुशंषा /टिप्पणी के लिए प्रस्तुत किया गया है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इन कार्यों की सूची में अपनी अनुशंषा/टिप्पणी जल्द से जल्द दें, ताकि जयपुर स्थित हमारे मुख्यालय को सूचित किया जा सके।

सलंग्नः– 1. CUCPL के अनुसार कार्यो की सूची।

2. PMGSY-III बैच–I वर्ष 2020–21 के तहत अंतिम प्रस्ताव।

भवदीय,

(सत्येन्द्र सिंह) 5/6/2020
अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि.वृत,नागौर

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA - III PROPOSALS UNDER BATCH-1 (Year 2020-21)

Hon'ble MP- Sh. Hanuman Beniwal

Sr.No.	State Name	District Name	Block name	WORK NAME	TOTAL LENGTH	TOTAL COST OF PROJECT INCLUDING HIGHER SPECIFICATION
1	Rajasthan	Nagaur	Didwana	T07-Supka-Sewa-CholuKhan-Fogri-Bugatiyo ki Dhani-Khakholi	8.200	262.380
2	Rajasthan	Nagaur	Didwana	T02-Keechk-Khakholi-Berikallan-Sardarpura-Nuwa up to SH-92	10.400	324.940
3	Rajasthan	Nagaur	Didwana	T14-Laachri Block boundary to Pandorai-Dayalpura-Ganeshpura-Bardwa	5.000	131.520
4	Rajasthan	Nagaur	Didwana	T13-Thanu-Kalwani-Patan-Ajwa-Naurangpura-Doodli-Baldoo up to block boundary	5.600	214.880
5	Rajasthan	Nagaur	Didwana	T01-Bolck Boundary to Doodoli-Jorawarpura-Palot-Koliya-Khunkhuna-Kharesh-Khojas-Toshina-Bloct Boundary	5.000	149.820
6	Rajasthan	Nagaur	Didwana	T11-Mandookra-Peerwa-Loroli khurd-Loroli Kalan-Sagoo kalan-Kerap-Bhandari-Mamroda-Chomu-Palot-Didwana	5.050	135.600
7	Rajasthan	Nagaur	Jayal	T12-Manglod to Rajod Via Dugastau-Boding Kallan road	11.275	436.700
8	Rajasthan	Nagaur	Jayal	T16-SH-92A Kasanu to Lunsara-Pedham upto block Boundary	9.000	524.950
9	Rajasthan	Nagaur	Jayal	T02-SH-60 to Jayal-Khinyala-Dugoli-Rotu-Gugriyali-Khabriyana NH-65	15.000	862.900
10	Rajasthan	Nagaur	Kuchaman City	T04-Kukanwali Indali Haripura Bhanwata Road	10.000	366.880
11	Rajasthan	Nagaur	Kuchaman City	T25-Panchawa to Bhanwata	5.100	208.450
12	Rajasthan	Nagaur	Ladnu	T07-Jaswantgarh-Dabri-Ledi-Jhekeriya	5.100	165.430
13	Rajasthan	Nagaur	Ladnu	T13-Ladnu-Bhiyani-Khanpur megahighway road	5.600	267.960
14	Rajasthan	Nagaur	Ladnu	T10-Mithri-Lachri-Pandorai up to block boundary	5.100	180.940
15	Rajasthan	Nagaur	Ladnu	T02-Thani-Saardi-Kishanpura	10.000	487.630
16	Rajasthan	Nagaur	Ladnu	T04-Doodoli-Baldoo-Nimbijodha-Odient Hirawati up to block boundary	9.000	303.860
17	Rajasthan	Nagaur	Makrana	T07-Ranigaon (SH-2B) to Khardiya Sarnawada Itawa Bamniya	7.600	361.790
18	Rajasthan	Nagaur	Makrana	T17-Jakhli Bansra Joosariya Mindkiya Barwali Torda (Block Border)	5.000	249.900
19	Rajasthan	Nagaur	Mundwa	T12-Khajwana to Dhadriya Kallan	5.000	192.580
20	Rajasthan	Nagaur	Mundwa	T14-Panchla siddha to Nagri via Narwa	7.000	226.780
21	Rajasthan	Nagaur	Mundwa	T03-Sankhwas hillori senani asawari garasam road	5.350	302.290
22	Rajasthan	Nagaur	Nagaur	T01-Nagaur Indas Bhawad Joshiyad Raidhanu Road	11.500	631.940
23	Rajasthan	Nagaur	Nagaur	T09-Sukhwasi Khankhrmsotan Thalanju Alay Road	11.500	654.770
24	Rajasthan	Nagaur	Parbatsar	T07-Parbatsar Malas Rohindi	5.500	271.550
25	Rajasthan	Nagaur	Parbatsar	T14-Bhakri Khedi Khinwsi Jawla	7.900	394.070
26	Rajasthan	Nagaur	Parbatsar	T10-Bagot Chitai Gular Kurada Antroli Khedapura upto SH-59	6.770	338.380
27	Rajasthan	Nagaur	Parbatsar	T08-Block Border Billoo to Bidiyad Devgarh Adani Khokhar Road	5.330	203.320
28	Rajasthan	Nagaur	Parbatsar	T11-Bhakri Kurada Beethwaliya Mehrasi upto SH-59	14.100	609.330
					216.975	9511.540

Superintending Engineer
PWD Circle Didwana

Superintending Engineer
PWD Circle Nagaur

Generated On : 05/06/2020 12:20 PM
2014 NRRDA, All rights reserved.

हनुमान बेनीवाल
संसद सदस्य (लोक सभा)
नागौर, राजस्थान

F-17024/22/2019-RC

सत्यमेव जयते

सदस्य :
- रक्षा संबंधी स्थायी समिति
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति

अनुबंध - III

क्रमांक : MP/NGR/356

दिनांक 28/06/2020

श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर
मा. मंत्री, ग्रामीण विकास एवम् कृषि विभाग
भारत सरकार,नई दिल्ली |

विषय - PMGSY के अंतर्गत मेरे नागौर (राजस्थान) मे मापदंडो व नियमो को दरकिनार करके राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रेषित कार्यो की स्वीकृति पर रोक लगाकर स्थानीय सांसद की अभीशषा के अनुसार स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध मे |

सन्दर्भ- उक्त सम्बन्ध मे मेरे द्वारा आपको प्रेषित पत्र संख्या MP /NGR /248 दिनाक 05 मई 2020 के क्रम मे |

मान्यवर उपरोक्त विषय मे निवेदन है की मेरे जिले नागौर (राजस्थान) मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा नियमो के विपरीत स्वीकृतियों हेतु प्रस्ताव केंद्र स्तर पर भेज दिए जिसके संबंध में संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके समक्ष आपति प्रस्तुत की थी, इसी क्रम में निम्न बिन्दुओ के माध्यम से आपका पुन: ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ-

1- पूर्व मे राजस्थान सरकार द्वारा ब्लॉक वार जो डाटाबेस तैयार किए गये उसमे डीडवाना मे शून्य, लाडनू मे शून्य व परबतसर मे 13.09 किलोमीटर लंबाई की सड़को के प्रस्ताव तैयार किए गये उसके बाद राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री जी व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मुख्य अभियन्ता के निर्देश व दखलंदाजी से डाटाबेस मे छेड़छाड़ करके डीडवाना में 34, लाडनू मे 40 व परबतसर में 40.09 किलोमीटर कर दिया गया साथ ही उदाहरण के तौर पर नागौर जिले के खींवसर विधानसभा क्षेत्र के मुंडवा ब्लॉक में एक सड़क कुछछी-बेनीवालो की ढाणी- नारवा कल्ला जो नियमानुसार भेजी गई उसमे राज्य स्तर पर डाटाबेस में छेड़छाड़ करके बदलाव कर दिया गया और इस प्रकार ब्लॉकवार सड़को की स्वीकृति मे असमानता रख दी गई व भारत सरकार से कुल स्वीकृति के क्रम में वर्गीकरण में असमानता रख दी गई जिसकी वजह से जनता मे रोष व्याप्त हो गया।

2- उक्त स्वीकृतियों में नागौर जिले के डेगाना, परबतसर , डीडवाना में सबसे अधिक थ्रू रूट के मापदण्डो को दरकिनार करके कच्चे रास्तो को कच्चे रास्तो से जोड़ने जैसी स्वीकृतीया जारी कर दी जो राजकोष के अपव्यय की श्रेणी में आता है।

3- आपका ध्यान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए तय निर्देशिका मे पैरा 5.5 की तरफ आकर्षित करते हुए यह बताना चाहता हूँ की उक्त पैरा मे यह लिखा गया है की वार्षिक प्रस्तावो को अंतिम रूप देने से पहले संसद सदस्यो के प्रस्ताओ को पूरा महत्व दिया जाए जबकि स्थानीय सांसद होने के बावजूद मेरे से किसी प्रकार की राय नहीं ली गई जो निर्देशों की अवहेलना है साथ ही जिन सड़को का नवीनीकरण 10 वर्ष पूर्व हुआ उन्ही को उक्त योजना में सम्मिलित करने का प्रावधान है जबकि ऐसी सडको को प्रस्ताव में सम्मिलित कर दिया गया है जिनका नवीनीकरण हुए 10 वर्ष पूर्ण नहीं हुए जो तकनिकी मापदंडो की अवहेलना है |

पता : राजकीय स्टेडियम के सामने, खनन विभाग कार्यालय के पास, कॉलेज रोड, नागौर (राजस्थान) 341001
मो. : 94141-18677 | E-mail : hanumanbeniwaloffice@gmail.com

Scanned with CamScanner

चूँकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार की एक महत्पूर्ण योजना है और उक्त योजना में स्थानीय सांसद से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव नहीं मांगने व् अंतिम चयन में सहमति नहीं लेने तथा तय तकीनीकी मापदंडो की अवहेलना करने से केंद्र के प्रति सकारात्मक सन्देश नहीं जाता जबकि गडबडी राज्य स्तर पर स्थानीय सरकार व् जिम्मेदारों द्वारा की गई है और अब डाटाबेस दिल्ली स्तर पर डिजिटल लॉक लगा दिया गया है साथ ही वर्तमान में सांसद निधि भी केंद्र सरकार ने आगामी 2 वर्षो तक सस्पेंड कर दी ऐसे में स्थानीय सांसद से जो जनता की अपेक्षा है वो ऐसे केंद्रीकृत कार्यो से ही पूरी होगी इसलिए मेरा आपसे आग्रह है की आप मेरे नागौर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण स्वीकृतियों को निरस्त करके तत्काल प्रभाव से स्थानीय सांसद की अभीशंषा के अनुसार नए स्तर से वापिस मंगवाने हेतु निर्देश जारी करके अनुगृहीत करावे।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

धन्यवाद।

भवदीय

(हनुमान बेनीवाल)

Scanned with CamScanner

हनुमान बेनीवाल
संसद सदस्य (लोक सभा)
नागौर, राजस्थान

सत्यमेव जयते

सदस्य :
- रक्षा संबंधी स्थायी समिति
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति

क्रमांक : MP/NGR/248

दिनांक 05.05.2020

श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर
माननीय मंत्री ,ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग
भारत सरकार नई दिल्ली |

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मे स्वीकृत होने वाली सड़को की स्वीकृती के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा स्थानीय सांसद की अभीशषा नही लेने व मापदंडो को दरकिनार करके जारी हुई तथा जारी होने वाली स्वीकृतियो की आपत्ति के संबंध मे |

महोदय

उपरोक्त विषय मे सादर अनुरोध है की हाल ही मे राजस्थान मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी हुई जिसके अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर मे हुई स्वीकृति राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संज्ञान मे आई है ,परन्तु उक्त कार्य की स्वीकृति हेतु स्थानीय सांसद होने के बावजूद मेरे से किसी प्रकार की अनुशषा राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज तथा सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी व विभाग ने नही माँगी है साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो मापदंड भारत सरकार द्वारा तय किए हुए है उसकी भी पूर्ण रूप से अवहेलना हुई है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है केंद्र निधि की राशि उक्त योजना मे सम्मिलित होने के बावजूद राजस्थान की सरकार द्वारा दुर्भावना रखते हुए स्थानीय लोकसभा सांसद से अभीशषा नही माँगना न्यायोचित नही है | मेरी उक्त आपत्ति के सम्बन्ध मे आप से अनुरोध है की मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर (राजस्थान) मे PMGSY के अंतर्गत स्वीकृत सड़को हेतु जारी समस्त प्रकार की स्वीकृति / स्वीकृतियों पर रोक लगाकर रिव्यू करते हुए हमारी अभीशषा के अनुसार स्वीकृति जारी करने हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश जारी करे साथ ही राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को उक्त सम्बन्ध मे निर्देश जारी करते हुए केंद्र निधि से स्वीकृत होने वाली सड़को सहित संपूर्ण कार्यो मे स्थानीय सांसद से अभीशषा माँगने हेतु निर्देश जारी करे |

मुझे पूर्ण विश्वास है आप तत्काल प्रभाव से निर्णय लेते हुए लोकसभा सांसद के अधिकार का संरक्षण करके आवश्यक कार्यवाही करते हुए मुझे अनुगृहीत करवाएँगे |

धन्यवाद

भवदीय

HBeni

(हनुमान बेनीवाल)

पता : राजकीय स्टेडियम के सामने, खनन विभाग कार्यालय के पास, कॉलेज रोड, नागौर (राजस्थान) 341001
मो. : 94141-18677 | E-mail : hanumanbeniwaloffice@gmail.com

Scanned with CamScanner

675728/2021/DS(RC)

P-17024/22/2019-RC

अनुबंध - IV

राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, जयपुर
(सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार)

Rajasthan Rural Road Development Agency, Jaipur
(Public Works Department, Govt. of Rajasthan)

Phone : 0141-2222339, 2222347, 2222302, 2222340
Email : pmgsyrajasthan@rediffmail.com, pmgsyrajasthan@gmail.com

No. SE(PMGSY)/PMGSY-III/2020-21/D- 652 Dated : 03/09/2021

Dr. Ashish Goel
Joint Secretary (RC)
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development,
Govt. of India, Krishi Bhawan, New Delhi - 110001

Sub: Proposal of the State of Rajasthan submitted under PMGSY-III, batch-I of 2021-22

Ref: Minutes of Meeting of Pre EC held on 27.05.2021 and received vide Dy. Secy. to GoI, MoRD letter dated 02.06.2021

Sir,

State had submitted 44 No. road proposals of 3 No. districts having 420.65 Km length and Rs.198.13 Cr. cost under PMGSY-III, batch-I of year 2021-22. Pre EC for which was held on 27.05.2021 and minutes of meeting were received vide Dy. Secy. to GoI, MoRD letter dated 02.06.2021. Further a VC meeting was held on 04.08.2021 under your chairmanship to discuss the status of compliance report to the observations of Pre EC.

Till date State has received sanction of 5821 km length under PMGSY-III and is preparing proposals for remaining length. Hence, it has been decided that proposals under consideration at MoRD level shall be withdrawn and proposals for remaining length shall be submitted to NRIDA/MoRD in one go.

It is therefore requested to kindly consider this request and unlock the related modules on OMMAS for the entire state, so that proposals may be uploaded accordingly.

Yours faithfully,

(Subodh Malik)
Secretary, RRRDA &
Chief Engineer (PMGSY)

Room No.504, 5nd Floor, Block-A
6, "Nirman Bhawan", Opp. Jaipur Club, Jacob Road, Jaipur-302006 (Rajasthan)

अनुबंध - V

राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, जयपुर
(सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार)

Rajasthan Rural Road Development Agency, Jaipur
(Public Works Department, Govt. of Rajasthan)

Phone : 0141-2222339, 2222347, 2222302, 2222340
Email : pmgsyrajasthan@rediffmail.com

No.SE(PMGSY)/SLSC/2021-22/प्र457 Dated : 31/03/2022

Minutes of Meeting

Minutes of meeting of 23rd State Level Standing Committee (SLSC) held on 24-03-2022 for PMGSY works.

23rd State Level Standing Committee (SLSC) meeting for PMGSY works was held on 24-03-2022 under the Chairpersonship of Chief Secretary, Govt. of Rajasthan. The following officers attended the meeting:-

1. Addl. Chief Secretary, Transport, GoR
2. Pr. Secretary, Finance Department, GoR
3. Pr. Secretary, Rural Development & Panchayati Raj, GoR
4. Pr. Secretary, Forest & Environment, GoR
5. Pr secretary, IT and Communication, GoR
6. Pr. Secretary, Agriculture, GoR
7. Spl. Secretary, School Education, GoR
8. Secretary Medical and Health, GoR
9. Secretary, Public Works Department, GoR
10. Prof. & Head, Civil Engg. Faculty, BITS Pilani
11. SIO, NIC, RSC, Jaipur

Chief Engineer (PMGSY), PWD welcomed all the participants and apprised about the action taken on the issues / decision discussed in the 22nd SLSC meeting held on 12-02-2020.

In the start of meeting Chief Engineer (PMGSY) told the committee, that this is 23rd meeting since inception of PMGSY (December, 2000).

Chief Engineer (PMGSY) deliberated on the progress of PMGSY works of connectivity, up gradation and bridge works. Committee appreciated the progress of PMGSY works and asked to expedite the progress of bridge work.

Room No. 504 - 514, 5th Floor, Block-A
6, "Nirman Bhawan", Opp. Jaipur Club, Jacob Road, Jaipur-302006 (Rajasthan.

Phone : 0141-2222339, 2222347, 2222302, 2222340
Email : pmgsyrajasthan@rediffmail.com

Chief Engineer (PMGSY) further explained the release of funds and informed that Rajasthan has got the highest Financial Incentive in the financial year 2017-18 and 2nd highest in the financial year 2018-19 in the country, as per performance of state. In the next consecutive financial year no work was available upfront, so we could not get the Financial Incentive. Department of Expenditure, Govt. of India issued directions vide letter dated 23-03-2021 to have Single Bank Account (SNA) for each Central Scheme in the State. PMGSY with concurrence of Finance Department was the first scheme in which SNA was made operative in the State. It was also briefed to SLSC that Finance Department has agreed that henceforth Central and State share of the scheme will be directly transferred to SNA.

It was requested to release of pending Rs. 217.091 Cr (CS Rs.130.257 + SS Rs. 86.834) for Program Fund from State Govt. in SNA Account and also Rs.256.91 Cr. kept in PD Account, need to be transfer in SNA Account. Chief Secretary was of the view that release of funds for the scheme in which we get central share and further incentives should not be curtailed and directed that amount be transferred to SNA account instead of through PD account. Representative of FD agreed for the same.

Chief Secretary also directed that as soon as the road works are completed, detailed list should be sent to Transport Department for providing transport facilities to the habitation. She further directed that Transport Department should report to PWD & SLSC for the action taken in this regard.

New Proposals : SLSC appreciated that Rajasthan has entered in last leg of PMGSY-III and proposals of remaining length of 2841 km. from the total allotted 8662 km. length has been submitted for planning audit to MoRD.

For Nagaur district CUCPL and proposal list based on PMGSY-III guidelines were approved by respective Panchayat Samiti. After wards Zilla parishad approved the proposal list of 33 No. roads of 338.95 Km length (30 No. roads of 307.85 Km length for Nagaur constituency and 3 No. roads of 31.10Km for Rajsamand constituency), which was different from the priority list (CUCPL) but as per consent letter of Hon'ble MP Nagaur.

राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, जयपुर
(सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार)
Rajasthan Rural Road Development Agency, Jaipur
(Public Works Department, Govt. of Rajasthan)
Phone : 0141-2222339, 2222347, 2222302, 2222340
Email : pmgsyrajasthan@rediffmail.com

Out of these proposals of Hon'ble MP and approval of Zila Parishad, 20 no. proposals of 171.85 km. length have been proposed under PMGSY-III which are eligible as per PMGSY-III guidelines. Details of proposals taken could not be considered has been conveyed to Hon'ble MP vide PIU letter dated 18-02-2022. Consent of Hon'ble MP of Rajsamand constituency for 3 no. of roads of 31.10 km was received, which have been considered in PMGSY-III proposals.

Committee members decided that for Nagaur district proposals eligible as per PMGSY-III guidelines and as per allotted quota shall be uploaded on OMMAS. However NRIDA/MoRD may take suitable decision in the matter.

In compliance to Para 7.3 of PMGSY-III guidelines and role of MP advisory dated 02-06-2020 issued by MoRD, SLSC members, Committee found that these proposals are in order and may be forwarded to NRIDA/ MoRD for further needful action at their end.

It was apprised to the committee that NRIDA/MoRD has locked the edit/add proposal module on OMMAS, due to which some proposals which have already been approved by STA/PTA could not be uploaded on OMMAS. Committee requests MoRD for unlocking of proposal module so that complete proposals may be uploaded and sanction of remaining 2841 kms. length may be received for entire state in one go.

SLSC vetted and approved the following :-

1. DRRP (Annexure-B)
2. CUCPL (Annexure-C)
3. MP-I/MP-II/MP-III (Annexure-D)
4. Proposals of remaining length of Roads (Batch-I of 2021-22) under PMGSY-III (Annexure-E & Annexure-F)
   - Cost Sharing for PMGSY-III: Fund sharing pattern of construction cost under the Central and State Government is same as currently applicable to PMGSY-I & II, this is as under;-
   - 60% Centre and 40% State
   - Cost of maintenance covering Routine Maintenance for initial 5 years after construction and also for further 5 years including periodic renewal as per requirement, special repairs and emergency maintenance shall be fully borne by state.

राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, जयपुर
(सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार)
Rajasthan Rural Road Development Agency, Jaipur
(Public Works Department, Govt. of Rajasthan)
Phone : 0141-2222339, 2222347, 2222302, 2222340
Email : pmgsyrajasthan@rediffmail.com

5. All MDRs and Through Routes and at least 50% of Link Routes under DRRP will be placed under area based, Batch Maintenance, and State will provide requisite funds for maintenance of these roads.

Decision taken in the 23rd meeting of SLSC are summarized as under :-

Sr. No.	Action to be taken	Agency / Department
1	Expedite the progress of remaining works of PMGSY-III (phase-I, 2019-20) & also Financial Incentive and bridge works	PWD
2	Release of fund to PWD as per RE	Finance
3	Submission of list of new completed road works to Transport Deptt.	PWD
4	New Proposals of remaining length of Road under PMGSY-III Phase-I (2021-22)	PWD

The meeting ended with a vote of thanks to Chair.

(Sunil Jaisingh)
Chief Engineer (PMGSY) &
Secretary, RRRDA

Room No. 504 - 514, 5th Floor, Block-A
6, "Nirman Bhawan", Opp. Jaipur Club, Jacob Road, Jaipur-302006 (Rajasthan)

राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, जयपुर
(सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार)
Rajasthan Rural Road Development Agency, Jaipur
(Public Works Department, Govt. of Rajasthan)
Phone : 0141-2222339, 2222347, 2222302, 2222340
Email : pmgsyrajasthan@rediffmail.com

Copy submitted to the following for information & necessary action:-

1. The Chief Secretary, GoR
2. Addl. Chief Secretary, School Education, GoR
3. Addl. Chief Secretary, Transport, GoR
4. Pr. Secretary, Finance Department, GoR
5. Pr. Secretary, Rural Development & Panchayati Raj, GoR
6. Pr. Secretary, Forest & Environment, GoR
7. Pr secretary, IT and Communication, GoR
8. Pr. Secretary, Agriculture, GoR
9. Pr. Secretary, Public Works Department, GoR
10. Secretary Medical and Health, GoR
11. Secretary, Public Works Department, GoR
12. Prof. & Head, Civil Engg. Faculty, BITS Pilani / MNIT, Jaipur
13. SIO, NIC, RSC, Jaipur
14. The Finance Advisor (NH), PWD, CE's Office, Jaipur
15. The Superintending Engineer (PMGSY), PWD, Jaipur
16. The SE & SQC (PMGSY), PWD, Jaipur
17. The EE / AE (PMGSY), PWD, Rajasthan

(Sunil Jaisingh)
Chief Engineer (PMGSY) &
Secretary, RRRDA

Room No. 504 - 514, 5th Floor, Block-A
6, "Nirman Bhawan", Opp. Jaipur Club, Jacob Road, Jaipur-302006 (Rajasthan)

778092/2022/BC(P-II) NRRDA-PIU0PMW/2/2021-Dir(Tech) अनुबंध -VI

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत नागौर

कमांक / अधी.अभि. / 35 दिनांक :– 05.04.2022

श्री हनुमान बेनीवाल
माननीय सांसद
लोकसभा क्षेत्र नागौर

विषय :– पीएमजीएसवाई–3 बेच–1 के तहत प्रस्तावित प्रस्तावों की सूची की अनुशंषा बाबत।

प्रसंग :– MoRD के पत्रांक P-17025/37/2013-RC दिनांक 02.06.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्री ईसी दिनांक 27.05.2021 की अनुपालना व MoRD के पत्रांक F-17024/22/2019-RC(PMS)369629 दिनांक 07.10.2021 एवं MoRD के पत्रांक F-17024/22/2019-RC(PMS)369629 दिनांक 24.11.2021 की अनुपालना में पीएमजीएसवाई–3 बेच–1 के लिये जिले को आवंटित लम्बाई के तहत पीएमजीएसवाई–3 की गाईड लाईन अनुसार कुल 28 प्रस्ताव (लोकसभा क्षेत्र नागौर) ओएमएमएस की वेबसाईट पर प्रस्तावित किये गये है जो कि एसटीए द्वारा अनुमोदित भी है। संलग्न सूची अनुसार प्रस्तावित उपरोक्त प्रस्तावों का MoRD के पत्रांक P-17025/37/2013-RC दिनांक 02.06.2020 के पेरा 7.3 (ii) की अनुपालना में अनुमोदन आवश्यक है। अतः अनुमोदन करवाने का श्रम करावें ताकि प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्न :– प्रस्तावों की सूची

(पी.आर. खुडीवाल)
अधीक्षण अभियन्ता (PIU)
सा.नि.वि. वृत नागौर

कमांक / अधी.अभि. / दिनांक :--
प्रतिलिपि श्रीमान मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

(पी.आर. खुडीवाल)
अधीक्षण अभियन्ता (PIU)
सा.नि.वि. वृत नागौर

DETAILS OF PROPOSALS AS PER OMMS FOR PMGSY-III Batch -1 Distt. NAGAUR

Sr.No.	Block name	WORK NAME	TOTAL LENGTH	CARRIAGE WIDTH	TOTAL COST OF PROJECT
1	Didwana	T07-Supka-Sewa-CholuKhan-Fogri-Bugaliyo ki Dhani-Khakholi	8.30	5.500	452.680
2	Didwana	T02-Keechk-Khakholi-Berikallan-Sardarpura-Nuwa up to SH-92	12.68	5.500	643.680
3	Didwana	T13-Thanu-Kalwani-Patan-Ajwa-Naurangpura-Doodli-Baldoo up to block	13.60	5.500	733.740
4	Didwana	T11-Mandookra-Peerwa-Loroli khurd-Loroli Kalan-Kerap-Bhandari-	7.00	5.500	371.970
5	Jayal	T11-Khatu-Ambali-Kathoti-Jochina-Adsinga	8.00	3.750	411.710
6	Jayal	T08-Block Boundary to Bhanwla-Geloli-Kasnau-Igyar-Tangla upto SH-90	11.30	3.750	577.170
7	Jayal	T13-Chhapra-Burdi-Kamedia-Akora-Dodu-Lalgarh	7.10	3.750	390.680
8	Kuchaman	T04-Kukanwali Indali Haripura Bhanwata Road	13.80	5.500	713.300
9	Kuchaman	T09-Meethari Lichana Gogor Khusiya Maroth Road	6.50	5.500	332.500
10	Kuchaman	T11-Devli Mundgasoi Lunwa Lakhanpura Chosla Gudhasalt Jabdinagar	8.50	5.500	434.140
11	Ladnu	T07-Jaswantgarh-Dabri-Ledi-Jhekeriya	8.00	5.500	409.510
12	Ladnu	T13-Ladnu-Bhiyani-Khanpur megahighway road	5.60	5.500	272.850
13	Ladnu	T02-Thani-Saardi-Kishanpura	9.00	5.500	491.770
14	Ladnu	T04-Doodoli-Baldoo-Nimbijodha-Odient-Hirawati up to block boundary	8.35	5.500	447.590
15	Ladnu	T11-Block boundary roja-Dheengsari-Ratau-Baldoo-Datau-Sanwrad-	9.50	5.500	485.170
16	Makrana	T07-Ranigaon (SH-2B) to Khardiya Sarnawada Itawa Bamniya	14.30	5.500	732.340
17	Makrana	T16-Bidiyad (SH-2D) to Mored Billoo Nimbari Badu Block Border	5.20	5.500	268.760
18	Makrana	T02-Itawa Bamniya Altawa Bajoli Kitalsar Block Border	7.76	5.500	403.190
19	Mundwa	T01-Janana Bunarwatan Gwaloo Hillori Bhatnoka Road	11.80	3.750	684.080
20	Mundwa	T07-chimrani balaya Mundiyar	17.00	5.500	883.382
21	Nagaur	T09-Sukhwasi Kharikhrmsotan Thalanju Alay Road	11.50	5.500	653.440
22	Nagaur	T13-Gudla Malgaon Bhadana Harima Road	11.00	3.750	622.600
23	Nagaur	T02-Alay Kalri Khadkali Gudabhagwandas Road	8.00	5.500	481.800
24	Nagaur	T01-Nagaur Indas Bhawad Joshiyad Raidhanu Road	12.80	5.500	639.770
25	Parbatsar	T14-Bhakri Khedi Khinwsi Jawla	7.90	5.500	380.440
26	Parbatsar	T10-Bagot Chitai Gular Kurada Antroli Khedapura upto SH-59	15.15	3.750	766.770
27	Parbatsar	T04-SH-21A Lega ki Dhani to Rid Bajwas Peelwa Kaletara Bhadsiya	10.80	5.500	554.650
28	Parbatsar	T05-Bajwas Palri Kadwa Moondota Rabdiyad Kanwlad Neniya Huldhani	11.65	5.500	572.450
		Total MP Nagaur	282.09		14812.13
1	Merta	T05-Kalru to Gotan via Mokala Ganthiya Dhadhasni Basni Seja	7.60	5.500	536.480
2	Degana	T01-Mahrasi to Ren via Pundlota Edwa Banwarla Sirasana	9.95	5.500	693.950
3	Riyan	T07-Mertacity to Champapur upto Distt Border via Badayali Ladwa fanta	13.15	5.500	976.240
		Total MP Rajsamand	30.70		2206.67
31		TOTAL DISTT.NAGOUR	312.79		17018.80

Superintending Engineer (PIU)
PWD Circle Nagaur

2014 NRRDA, All rights reserved.

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

भीम BHIM

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त नागौर (राज0)

क्रमांक :– 316 दिनांक :– 12/05/2022

श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (पीएमजीएसवाई),
सा.नि.वि. राजस्थान,
जयपुर।

विषयः– MoRD के गाइडलाईन 02 जून 2020 की पालना बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिला नागौर के पी.एम.जी.एस.वाई. तृतीय चरण वर्ष 2021–22 के बैच के Final Proposal की सूची अभिशंषा एवं माननीय सांसद महोदय क्षेत्र नागौर को इस कार्यालय के पत्रांक एस.ई.एन./35 दिनांक 05.04.2022 के द्वारा भेजे गये थे।

आज दिनांक 12.05.2022 तक इस कार्यालय को अभिशंषा प्राप्त नहीं हुई है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

12/5/22
(पी.आर. खुडीवाल)
अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि.वृत,नागौर

साबुन से बार–बार हाथ धोते रहें। मास्क से मुंह एवं नाक को पूर्णतया ढ़के। दो गज की दूरी बनायें।

अनुलग्नक-VIII

No. H- 12013/21/2022-RC (FMS No 381257)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
Rural Connectivity (RC) Division

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated the 09th November, 2022

To,

The Addl. Chief Secretary,
Public Works Department,
Rajasthan, Rural Road Development Agency,
Room No 5225, 2nd Floor,
Main Building, Secretariat,
Jaipur- 302005, Rajasthan.

Subject:-De-sanction of road works pertaining to Nagaur Parliamentary Constituency sanctioned on 26th July, 2022 under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-III (PMGSY-III), Batch-I of 2022-23-reg.

Sir,

Kindly refer to this Ministry's letter No. P- 17024/22/2019-RC (FMS No 369629) dated 26th July, 2022 vide which 32 roads of 335.09 Km were sanctioned. This included 29 road works of 304.04 Km pertaining to Nagaur Parliamentary Constituency and 3 road works 31.05 Km pertaining to Rajsamand Parliamentary Constituency. The sanctioned roads pertaining to Nagaur Parliamentary Constituency have subsequently been reviewed on the basis of the request of the Hon'ble MP, Nagaur Parliamentary Constituency before the Committee of Petitions of the Parliament.

2. I have been directed to convey that it has been decided by the competent authority to de-sanction 29 road works of 304.04 Km as per enclosed road-list sanctioned for Nagaur Parliamentary Constituency vide letter dated 26th July 2022, and request the State Government to submit a fresh proposal for Nagaur Parliamentary Constituency for consideration.

3. Consequent to de-sanction of 29 roads pertaining to Nagaur Parliamentary Constituency, the revised clearance of Nagaur District under Batch-I, 2022-23 shall be as under:-

Original Clearance (26-07-2022)

Item	No of proposals	Length in km	Cost in Crore	Avg. Cost (Lakh/km)
Upgradation	32	335.09	186.08	55.53
LSB	-	-	-	-
Total	32 roads	335.09 km roads	186.08	
MoRD Share: Rs. 111.65 Crore State share : Rs 74.43 Crore				

Revised Clearance

Item	No of proposals	Length in km	Cost in Crore	Avg. Cost (Lakh/km)
Upgradation	3	31.05	20.89	67.31
LSB	-	-	-	-
Total	3 roads	31.05 km roads	20.89	
MoRD Share: Rs. 12.54 Crore		State share : Rs 8.36 Crore		

1. The State Government is accordingly requested to take action for deletion of 29 roads pertaining to Nagaur Parliamentary Constituency and annulment of any consequential action thereof and submit fresh proposals strictly in terms of the programme guidelines and with due consultation with the concerned public representatives for consideration by the Ministry.

Encl: As above

Yours faithfully,

(Lalit Kumar)
Deputy Secretary to the Government of India
Tel. No. 2338 2406

Copy to:

(i) The Chief Engineer, RRDA, Jaipur
(ii) All Director of NRIDA (Director-Tech., with the request take further action for de-sanction of 29 road works)
(iii) File No. No. P-17024/22/2019-RC (FMS No 369629)

Copy also to:

- PS to Hon'ble Minister (RD)/PS to Hon'ble MoS/PPS to Secretary (RD)

List of roads pertaining to Nagaur Parliamentary Constituency to be de-sanctioned

Road length in Km

S.N	Package Number	Name of Road	Road Length
1	RJ24P-III-21	T07-Supka-Sewa-CholuKhan-Fogri-Bugaliyo ki Dhani-Khakholi	8.3
2	RJ242021/20	T02-Keechk-Khakholi-Berikallan-Sardarpura-Nuwa up to SH-92	12.68
3	RJ24P-III-29	T13-Thanu-Kalwani-Patan-Ajwa-Naurangpura-Doodli-Baldoo up to block boundary	13.6
4	RJ24P-III-27	T11-Mandookra-Peerwa-Loroli khurd-Loroli Kalan-Kerap-Bhandari-Mamroda-Chomu-Palot-Didwana	7
5	RJ24PIII-04	T11-Khatu-Ambali-Kathoti-Jochina-Adsinga	8
6	RJ24PIII-08	T08-Block Boundary to Bhanwla-Geloli-Kasnau-Igyar-Tangla upto SH-90	11.3
7	RJ24PIII-09	T13-Chhapra-Burdi-Kamedia-Akora-Dodu-Lalgarh	7.1
8	RJ24005	T07-ODR-5 to Goth-Mundwa-Ashop Road upto Block Boundary	16
9	RJ24UG-004	T04-Kukanwali Indali Haripura Bhanwata Road	13.8
10	RJ2408	T09-Meethari Lichana Gogor Khusiya Maroth Road	6.5
11	RJ2415	T11-Devli Mundgasoi Lunwa Lakhanpura Chosla Gudhasalt Jabdinagar Nawa Road	8.5
12	RJ242021/23	T07-Jaswantgarh-Dabri-Ledi-Jhekeriya	8
13	RJ24P-III-23	T13-Ladnu-Bhiyani-Khanpur megahighway road	5.6
14	RJ242021/25	T02-Thani-Saardi-Kishanpura	9
15	RJ242021/26	T04-Doodoli-Baldoo-Nimbijodha-Odient-Hirawati up to block boundary	8.35
16	RJ24P-III-24	T11-Block boundary roja-Dheengsari-Ratau-Baldoo-Datau-Sanwrad-Bhidasari	9.5
17	RJ242021/14	T07-Ranigaon (SH-28) to Khardiya Sarnawada Itawa Bamniya	14.3
18	RJ2411	T16-Bidiyad (SH-2D) to Mored Billoo Nimbari Badu Block Border	5.2
19	RJ2412	T02-Itawa Bamniya Altawa Bajoli Kitalsar Block Border	7.76
20	RJ24P3-05	T01-Janana Bunarwatan Gwaloo Hillori Bhatnoka Road	11.8
21	RJ24P3-08	T07-chimrani balaya Mundiyar	17
22	RJ2401	T01-Nagaur Indas Bhawad Joshiyad Raidhanu Road	18.5
23	RJ2409	T09-Sukhwasi Kharikhrmsotan Thalanju Alay Road	11.5
24	RJ24PIII-03	T13-Gudla Malgaon Bhadana Harima Road.	11
25	RJ24PIII-4	T02-Alay Kalri Khadkali Gudabhagwandas Road	8.25
26	RJ24UG16	T14-Bhakri Khedi Khinwsi Jawla	7.9
27	RJ242021/11	T10-Bagot Chitai Gular Kurada Antroli Khedapura upto SH-59	15.15
28	RJ2413	T04-SH-21A Lega ki Dhani to Rid Bajwas Peelwa Kaletara Bhadsiya Khundiyas upto District Border	10.8
29	RJ2416	T05-Bajwas Palri Kadwa Moondota Rabdiyad Kanwlad Neniya Huldhani Billoo Block Border	11.65
		Grand Total:	304.04

परिशिष्ट - 1

याचिका समिति की (सत्रहवीं लोक सभा)चौबीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, 17 अक्तूबर, 2022 को 1200 बजे से 1500 बजे तक समिति कक्ष '2', संसदीय सौध (विस्तार भवन), नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री हरीश द्विवेदी सभापति -

सदस्य

2. श्री हनुमान बेनीवाल
3. श्री अरविंद सावंत
4. श्री बृजेन्द्र सिंह
5. श्री मनोज कुमार तिवारी

<u>सचिवालय</u>

1. श्री राजू श्रीवास्तव - निदेशक
.2 श्रीहरीश कुमार सेठी - अपर निदेशक

<u>साक्षीगण</u>

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

1. श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा - सचिव
2. डॉ. आशीष कुमार गोयल - अपर सचिव

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. *** *** *** ***| ***

4. *** *** *** ***| ***

5. *** *** *** ***| ***

6. *** *** *** ***| ***

[ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रतिनिधियों को बुलाया गया।]

7. ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रतिनिधियों के स्वागत के पश्चात्, सभापति ने समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में अध्यक्ष के निर्देशों के निर्देश 55(1) का पाठन किया। नागौर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (राजस्थान) में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएवाई-।।।) के अंतर्गत सड़क विकास कार्यों के मनमाने अनुमोदन के आरोप से संबंधित श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य, लोक सभा के अभ्यावेदन पर मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के पूर्व समिति ने श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य, लोक सभा को इस अभ्यावेदन पर अपना मत रखने के लिए अवसर प्रदान किया था, जोकि अन्य बातों के साथ निम्नानुसार है-

(i) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) देश के ग्रामीण क्षेत्रों के दूरस्थ इलाकों को सड़क से जोड़ने की भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। पीएमजेएसवाई का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र के पात्र बसावटों, जो सड़क से नहीं जुड़े हैं, को बारहमासी सड़क से जोड़ना है।

(ii) पीएमजीएसवाई-I योजना का लक्ष्य मैदानी क्षेत्र में 500 या उससे अधिक व्यक्तियों के जनसंख्या वाले और पहाड़ी राज्यों, जनजातियों और रेगिस्तानी क्षेत्र के 250 या उससे अधिक व्यक्तियों वाले गांवों को सड़के प्रदान करना था।

(iii) पीएमजीएसवाई-II योजना के लक्ष्य में 50,000 किलोमीटर लंबी सड़क को अपग्रेड करना भी शामिल था।

(iv) 2019 में पीएमजीएसवाई-III योजना के अंतर्गत वर्तमान 'माध्यमिक मार्ग' और 'मुख्य ग्रामीण मार्ग' जो ग्रामीण कृषि बाजार (ग्राम्स), उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, अस्पतालों को बस्तियों से जोड़ता है, को अपग्रेड करके वर्तमान ग्रामीण नेटवर्क में समेकित किया जाना था। यह सरकार की बहुत अच्छी पहल थी।

(v) नागौर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (राजस्थान) में जहां अधिकतर हिस्से रेगिस्तानी क्षेत्र है, के छोटे गांवों को 'धानी' कहा जाता है, को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता है।

(vi) पीएमजीएसवाई-III योजना के कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार, विकास कार्यों के लिए सड़कों के चयन/प्राथिमिकता और निर्धारण के लिए संसद सदस्यों के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

(vii) ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को 2020 में लगभग 348 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र के सड़कों को अपग्रेड करने का प्रस्ताव दे दिया गया था। तथापि तत्संबंधी स्वीकृति नहीं मिलने के कारण 308 किलोमीटर के 30 सड़कों को अपग्रेड करने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव पुनः भेजा गया था, जिसे बाद में स्वीकृति नहीं मिली।

(viii) संशोधित प्रस्ताव प्रसांगिक दिशानिर्देशों के अनुरूप थी और इसकी व्यापक स्तरोन्नयन-सह-समेकन प्राथमिकता सूची (सीयूसीपीएल) के अनुसार संबंधित पंचायत समिति और जिला परिषद द्वारा समुचित सिफारिश की गई थी।

(ix) नागौर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (राजस्थान) में सड़क स्तरोन्नयन/विकास कार्यों के लिए निविदा हाल ही में जारी की गई है।

8. तत्पश्चात्, ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रतिनिधियों ने इस मामले मे अपने विचार रखें जो निम्नवत हैं-

(i) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) केवल पीएमजीएसवाई का मार्गदर्शी सिद्धांत बनाती है और यह निर्माण और/या स्तरोन्नयन/समेकन/सड़को के विकास के लिए सड़को का चयन नहीं करती है। यह निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्थानीय या राज्य स्तर पर किया जाता है।

(ii) सड़क संबंधी कार्यों के अनुमोदन पर अंतिम निर्णय मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर लिया जाता है।

(iii) पीएमजीएसवाई के चरण-I के अंतर्गत पूरा ध्यान केवल नई कनेक्टिविटी पर है। इस चरण के अंतर्गत लगभग 6 लाख किलोमीटर नए रोड़ बनाए गए। चरण-II के अंतर्गत चूंकि इन निर्मित सड़कों पर यातायात बढ़ गया है इसलिए पूरा ध्यान ग्रोथ सेंटरों के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कनेक्टिविटी प्रदान करने की आवश्यकता पर है। चरण-III के अंतर्गत ग्रोथ सेंटरों के अतिरिक्त स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं तथा कृषि बाजारों को जोड़ा जाना था।

(iv) जहां तक पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत सड़कों के चयन का संबंध है। चयनित सड़कों को मुख्यत: 'थ्रू रूट्स' माना जाता है। वे सड़कें जो बहुत बड़े क्षेत्रों की आबादी को जोड़कर एक बड़ी जनसंख्या के लिए प्रयुक्त होती है और जो छोटे-छोटे सड़कों से यातायात के संग्राहक के रूप में कार्य करती है उन्हें 'थ्रू रूट्स' माना जाएगा। एक ब्लॉक में सभी 'थ्रू रुटों/प्रमुख ग्रामीण संपर्क सड़कों' की पहचान की जाएगी और ट्रेस मैप की सहायता से सड़कों की सूची बनाते समय उनको नंबर दिया जाएगा। यदि वे पीएमजीएसवाई-III के उद्देश्यों को पूरा करते तो राज्य सड़कों

के चयन के लिए इन सभी अभिज्ञात 'थ्रू रुट्स' के उपयोगिता मूल्य की गणना कर सकते हैं। इसके बाद उपयोगिता मूल्य/स्कोर के आधार पर रैंकिंग किया जाता है। इसके अतिरिक्त रैंकिंग का विभिन्न स्तरों यथा मध्यस्थ पंचायत, जिला पंचायत और राज्य स्तरीय स्थायी समिति के स्तर पर जांच की जाती है।

(v) कुछ सड़कें हो सकती है जिनके सतह की मरम्मत से ही उनमें सुधार किया जा रहा है। राज्य समेकन और उन्नयन के मध्य प्राथमिकता निर्धारित कर सकती है और राइडिंग की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ऐसे सड़कों का प्रस्ताव कर सकती है। किसी भी स्थिति में ऐसे सड़कों की कुल लंबाई (राइडिंग गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रस्तावित) ग्रामीण बाजारों/विद्यालयों/अस्पतालों को जोड़नें की समान मानदंड़ों के साथ राज्य विशिष्ट आवंटन का 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। राइडिंग गुणवत्ता को प्राथमिकता देने के लिए सभी स्तरोन्नयन और सुधार (अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत के साथ) इस सूची से किया जा रहा है।

(vi) पीएमजीएसवाई-।।। योजना के कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता क्रम (पीसीआई के अध्यधीन) का अनुपालन करते हुए वार्षिक प्रस्ताव सीयूसीपीएल पर आधारित होगा। तथापि विशेष रूप से 'थ्रू रुट्स' के चयन में गलती से भूल-चूक होने की संभावना है। तदानुसार यह वांछनीय है कि वार्षिक प्रस्तावों में सड़क कार्यों के चयन को अंतिम रूप देते समय जन-प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। संसद सदस्यों के प्रस्तावों पर पूर्ण विचार किए जाने की जरूरत है।

(vii) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार माननीय संसदीय सदस्य से उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए दिनांक 18.02.2022 और 05.04.2022 के पत्राचार के माध्यम से दो बार संपर्क किया गया। तथापि समाप्त प्राप्त नहीं हो सकी।

9. ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रतिनिधियों के मतों को सुनने के पश्चात् समिति ने अपने विचार निम्नवत प्रस्तुत किए-

(i) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वयपूर्वक यह सुनिश्चित करें कि संसद सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर पीएमजीएसवाई कार्यक्रम दिशानिर्देशों की रूपरेखा के अंतर्गत समुचित विचार किया जाए।

(ii) मंत्रालय को चाहिए कि वह राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर वार्षिक प्रस्तावों के अंतर्गत सड़कों के चयन को अंतिम रूप देते हुए 15 दिनों की समय-सीमा के अंतर्गत संबधित संसद सदस्यों से सहमति प्राप्त करने संबंधी उपबंधों का पुनरावलोकन करें तथा उनमें ढील दे।

(iii) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) माननीय संसद सदस्य के मामले को उच्चतम स्तर पर उठाये ताकि सड़क के विकास कार्य से संबंधित उनके प्रस्ताव को पीएमजीएसवाई-।।। के अंतर्गत शामिल किया जा सके, साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) राजस्थान राज्य सरकार के साथ मिलकर मामले को सौहार्दपूर्ण सुलझाने का प्रयास करें।

(तत्पश्चात् साक्षी चले गए।)

10. *** *** *** ***। ***

11. *** *** *** ***। ***

(तत्पश्चात् समिति की कार्यवाही स्थगित हुई।)

***इस प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।